disha
Nurturing Ambitions

Quick अर्थव्यवस्था

for Competitive Exams

Useful for
UPSC/ SSC/
State PCS/ Banking/
Insurance/ Railways/
BBA/ MBA/ Defence

Can be finished in 3 hours

Infographics - Charts - Mindmaps

Quick

अर्थव्यवस्था

for Competitive Exams

Useful for
UPSC/ SSC/
State PCS/ Banking/
Insurance/ Railways/
BBA/ MBA/ Defence

Infographics - Charts - Mindmaps

disha
Nurturing Ambitions

EBD_7246

• **Corporate Office**

45, 2nd Floor, Maharishi Dayanand Marg, Corner Market,

Malviya Nagar, New Delhi-110017

Tel. : 011-49842349 / 49842350

DISHA PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED

© Copyright Publisher

The information, articles and all the material published in the Disha's Mega Yearbook 2017 are protected by Copyright and unless and until prior written consent from the author/publisher is taken, no modification, reproduction, distribution, sale, publishing, broadcasting or circulation of any material of the book can be made.

For further information about the books and ebooks from DISHA,

Log on to **www.dishapublication.com** or email to **info@dishapublication.com**

INDEX

भारतीय अर्थव्यवस्था GK 1-43

- भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना
- राष्ट्रीय आय
- भारत में आर्थिक नियोजन
- निर्धनता एवं बेरोजगारी
- कृषि क्षेत्र
- मुद्रा एवं पूँजी बाजार
- बैंकिग व्यवस्था
- औद्योगिक क्षेत्र
- बजट
- वैदेशिक क्षेत्र
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान
- महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना

- किसी देश द्वारा अपने नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में सुधार एवं पूर्ति करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा (अर्थ) को केन्द्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है।
- 'अर्थव्यवस्था' वास्तव में एक अपूर्ण शब्द है जब तक कि इसके पहले किसी देश या क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाये; जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आदि।

अर्थ व्यवस्था के प्रकार

विश्व में अर्थव्यवस्था के मूलतः तीन प्रकार हैं-

(i) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)
(ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)
(iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

(i) **पूंजीवादी अर्थव्यवस्था**- इसमें उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके जनक **एडम स्मिथ** माने जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में नियम एवं विनियम बाजार द्वारा बनाये जाते हैं।

(ii) **समाजवादी अर्थव्यवस्था**- इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर नहीं, बल्कि वितरण पर जोर दिया जाता है तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा नियम बनाकर संचालित किया जाता है। इसके जनक **कार्ल मार्क्स** थे।

(iii) **मिश्रित अर्थव्यवस्था**- इसकी अवधारणा जॉनमेनार्ड केंस की है। इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।

- इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों ही प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाये जाते हैं; जैसे- भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है।

अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकार

बन्द अर्थव्यवस्था- ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें घरेलू नीतियों पर अधिक जोर दिया जाता है तथा आयात-निर्यात नीति पर प्रतिबन्ध होता है।

खुली अर्थव्यवस्था- अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जिसमें पूंजीगत सेवाओं और वस्तुओं एवं मालों का बाह्य एवं अन्तः प्रवाह दोनों निर्बाध गति से होते रहते हैं।

- वर्ष 1947-91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बन्द अर्थव्यवस्था की थी, जबकि वर्ष 1991 के बाद खुली व मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया।

वस्तुओं की कीमत का निर्धारण

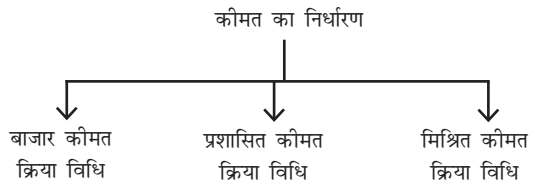

- **बाजार कीमत क्रिया विधि** में बाजार शक्तियों अर्थात् मांग व आपूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है।
- **प्रशासित कीमत क्रिया विधि** में प्रशासनिक शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है।
- **मिश्रित कीमत क्रिया विधि** में मूल निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा गौण निर्णय बाजार द्वारा लिये जाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार तथा वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी पिछड़ी है, परन्तु यह गरीबी के दुश्चक्र से परे है।
- संगणना-2011 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों में लगी हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

भारत एक विकासशील देश है। इसकी निम्न विशेषताएँ है–

(i) **निम्न प्रतिव्यक्ति आय**- भारत की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त निम्न है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 8600 रुपये प्रतिमाह है।

(ii) **जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर**- इसके अन्तर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व, निम्न लिंगानुपात स्तर, शिशु मृत्यु दर की अधिकता तथा औसत जीवन प्रत्याशा का कम होना आदि है।

(iii) **पूंजी की कमी**- भारत में आय का स्तर कम होने से बचत में कमी होती है, जिससे निर्माण की दर भी कम होती है। पूंजी की कमी से अन्य संसाधन जैसे– श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।

(iv) **बेरोजगारी की स्थिति**- विकसित देशों में बेरोजगारी की प्रकृति चक्रीय होती है और समर्थ मांग के अभाव में ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप है। इसका सबसे बड़ा कारण पूंजी का अभाव, कृषि में श्रम का नगण्य सीमांत उत्पादन है, इसीलिए कृषि में अदृश्य अथवा गुप्त बेरोजगारी पायी जाती है।

(v) **तकनीकी पिछड़ापन**- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राय: सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शोध व विकास पर भी कम खर्च किया जाता है। कुछ ही उद्योगों में उन्नति तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

"अत: यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्पविकसित तथा विकासमान है।"

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास

- आर्थिक संवृद्धि का तात्पर्य जी.डी.पी. में हुई वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का तात्पर्य जी.डी.पी. में वृद्धि के साथ-साथ मानव विकास सूचकांक में भी वृद्धि से है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI)

- यह सूचकांक **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री **'महबूब हक'** ने किया था। इसमे तीन प्रतिमानों को शामिल किया जाता है।

(i) जीवन प्रत्याशा सूचकांक
(ii) शिक्षा सूचकांक
(iii) आय सूचकांक

- सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। सूचकांक का मान जितना अधिक होता है, वह उतना ही उच्च स्थान रखता है।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ)

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय क्रियाकलापों में समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है। इसके प्रमुख महानिदेशक होते है, जिनके सहयोग के लिए पांच अपर महानिदेशक होते हैं।
- इसकी स्थापना **2 मई, 1951** को हुई थी। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है तथा सीएसओ की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कोलकाता में स्थित है।
- सीएसओ अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है।
- सीएसओ ने राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर 2011-12 कर दिया है।

राष्ट्रीय आय

- वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया था। इनके अनुसार वर्ष 1968 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी।
- भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है तथा इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सहायता करता है।
- **राष्ट्रीय आय**- एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है।
- राष्ट्रीय आय समिति का गठन **वर्ष 1949** में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष **प्रो.पी.सी. महालनोबिस** थे, जिन्होंने अपना पहला रिपोर्ट वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया।

- पहली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड रुपये थी तथा **प्रति व्यक्ति आय 225** रुपये थी।
- राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर निकाला जाता है जो किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक है।

राष्ट्रीय आय कर अवधारणाएँ

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) - किसी देश की भौगोलिक सीमा के अन्दर एक वर्ष में उत्पादन एवं सेवा से अर्जित समस्त आय ही उसकी जीडीपी है।

- इसमें विदेशी नागरिकों की आय जोड़ ली जाती है तथा विदेश गये नागरिको की आय घटा दी जाती है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)- किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय (वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा) सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है।

- इसमें देश में रह रहे विदेशियों की आय घटा दी जाती है, जबकि विदेश में रह रहे नागरिकों की आय जोड़ ली जाती है।
- राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करो को घटा दिया जाता है तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है।

$$GNP = GDP + X - M$$

यहाँ X = देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय
M = विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय

'यदि X = M है तो GNP = GDP होगा तथा बन्द अर्थव्यवस्था X – M = 0 हो तो भी GNP = GDP

- राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रतिव्यक्ति आय का निर्धारण कर लिया जाता है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{देश की जनसंख्या}}$$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।

$$NNP = GDP - \text{मूल्य ह्रास (Depreciation)}$$

- जब NNP का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है।

वैयक्तिक आय (Personal Income) - यह देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है।

वैयक्तिक आय = राष्ट्रीय आय - निगमों का अवितरित लाभांश-निगम कर- सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान + सरकारी हस्तांतरण भुगतान + व्यापारिक हस्तान्तरण भुगतान।

- प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र- अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है-

(i) **प्राथमिक क्षेत्र**- इसके अन्तर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं खनन आते हैं।

(ii) **द्वितीयक क्षेत्र**- यह उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो क्षेत्र में विभाजित किया गया है-

(a) निर्माण क्षेत्र - इमारत, सड़क बनाना आदि।

(b) विनिर्माण क्षेत्र - फैक्टरी में दवा बनाना, कपड़ा बनाना आदि।

(iii) **तृतीयक क्षेत्र**- इसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ आती हैं; जैसे- मनोरंजन, बैंकिंग, पर्यटन, संचार आदि।

जीडीपी एवं जीवीए (GDP & GVA)

सकल घरेलू उत्पाद, एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। **जीडीपी** = जीवीए + उत्पादों पर कर-उत्पादों पर सब्सिडी। वहीं जीवीए का प्रयोग सकल क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद तथा छोटी इकाइयों के उत्पादों को मापने के लिये किया जाता है। इसकी गणना जीडीपी से शुद्ध करों को घटाकर की जाती है-

राष्ट्रीय आय मापने की विधियां- राष्ट्रीय आय मापन की तीन विधियां प्रचलित हैं-

(i) **उत्पादन गणना विधि**- इस विधि के अन्तर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

(ii) **आय गणना विधि**- इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग किया जाता है।

(iii) **व्यय विधि**- इसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उपभोग एवं कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है। इन दोनों का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है।

- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग करता है।

भारत में आर्थिक नियोजन

- आर्थिक नियोजन, आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर इसे नियंत्रण के अन्तर्गत संचालित करने की पद्धति है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष **पं. जवाहरलाल नेहरू** थे।
- भारत में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित पुस्तक **'भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था'** (Planned Economy For India) वर्ष 1934 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक **एम. विश्वेश्वरैया** थे।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएं

योजना	अवधि	लक्ष्य	प्राप्ति	विशेष
प्रथम पंचवर्षीय	1951-56	2.1%	3.6%	➢ हैरॉल्ड एवं डोमर के मॉडल पर आधारित। ➢ कृषि को सर्वाधिक वरीयता दी गई।
द्वितीय पंचवर्षीय	1956-61	4.5%	4.2%	➢ महालनोबिस मॉडल पर आधारित तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर आधारित। ➢ इस अवधि में पनबिजली और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में पांच स्टील प्लास्ट की स्थापना हुई।
तृतीय पंचवर्षीय	1961-66	5.6%	2.7%	➢ सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। ➢ कृषि एवं उद्योग पर एक समान जोर दिया गया। ➢ भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण यह योजना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। ➢ इस योजना में 'टेक ऑफ स्टेज' का नारा दिया गया था, जिसका अर्थ एक निश्चित दर प्राप्त करना था।
-	1966-69	-	3.9	➢ इस अवधि को पहला योजना अवकाश घोषित किया गया। ➢ इसमें एक-एक वर्ष में तीन योजनाएं चलाई गई। ➢ इसी योजना में हरित क्रांति का प्रारम्भ हुआ था।
चतुर्थ पंचवर्षीय	1969-74	5.7%	3.2%	➢ अशोक रूद्र-एलन एस मान्ने मॉडल पर आधारित। ➢ स्थिरता के साथ आत्म-निर्भरता। ➢ 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

पांचवीं पंचवर्षीय	1974–78	4.4%	4.7%	➢ डी.पी. धर मॉडल पर आधारित। ➢ इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ➢ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत।
–	1978–80	–	–	➢ इसे **'रोलिंग प्लान'** के नाम से जाना जाता हैं। ➢ यह गुनालू मेर्डल की अवधारणा पर आधारित थी। ➢ इसे छठीं पंचवर्षीय योजना के रूप में चलाया गया, लेकिन 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया।
छठीं पंचवर्षीय	1980–85	5.2%	5.5%	➢ यह योजना इनवेस्टमेंट मॉडल के नाम से जानी जाती है। ➢ इस योजना में विदेशी निवेश पर जोर दिया गया। ➢ नाबार्ड व एक्जिम बैंक की स्थापना तथा 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण।
सातवीं पंचवर्षीय	1985–90	5%	5.6%	➢ इस योजना का मुख्य उद्देश्य संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। ➢ इस योजना में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत हुई।
–	1990–92		3.4%	➢ इसे सेकेण्ड प्लान हॉली डे (Second Plan holiday) कहा जाता है। ➢ नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं।
आठवीं पंचवर्षीय	1992–97	5.6%	6.5%	➢ वेग मिल्लर मॉडल पर आधारित। ➢ इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'मानव संसाधन का विकास' था।
नौवीं पंचवर्षीय	1997–2002	6.5%	5.5%	➢ इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक संवृद्धि था।
दसवीं पंचवर्षीय	2002–07	7.9%	7.7%	➢ सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में प्रवेश दिलाना तथा 2007 तक सभी बच्चों की स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा करना। ➢ वानिकीकरण को बढ़ाना।

11वीं पंचवर्षीय	2007-12	8.1%	7.8%	➢ इसमें समावेशी विकास का नारा दिया गया। ➢ अब तक सर्वाधिक विकास दर इसी योजना से प्राप्त की गई।
12वीं पंचवर्षीय	2017-17	8.1%	-	➢ इस योजना का उद्देश्य है- तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास

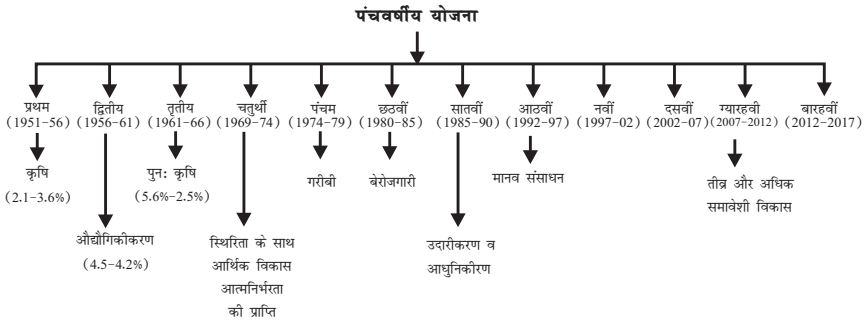

नीति आयोग

नीति आयोग (NITI Ayog) का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया।

नीति आयोग के उद्देश्य

जिन कारणों से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जरूरत है उसके लिए इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख उद्देश्य हैं-

- ➢ राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- ➢ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना।
- ➢ कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल प्रदान करना।
- ➢ समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो।
- ➢ सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- ➢ ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- ➢ आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।
- ➢ रणनीतिक और दीर्घावधिक कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना।
- ➢ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी के लिए परामर्श और प्रोत्साहन देना।

नीति आयोग का गठन

अध्यक्ष	**भारत के प्रधानमंत्री**
गवर्निंग कांउसिल	राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
क्षेत्रीय परिषद्	विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो, के लिए। परिषद् में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
उपाध्यक्ष	प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
सदस्य	(i) पूर्ण कालिक (ii) अंशकालिक
पदेन सदस्य	केंद्रीय मंत्रिपरिषद् से अधिकतम चार सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित।
मुख्य संचालन अधिकारी	भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।

निर्धनता एवं बेरोजगारी

- निर्धनता वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है अर्थात् निर्धनता का तात्पर्य न्यूनतम संसाधनों को भी न जुटा पाना है।
- निर्धनता आर्थिक विकास, जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति एवं क्रयशक्ति से जुड़ी होती है।
- सैद्धान्तिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक और निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है।
- भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर निर्धारित किये गये न्यूनतम उपभोग व्यय को **निर्धनता रेखा** कहा जाता है।
- विकासशील देशों में मुख्यत: निरपेक्ष गरीबी पायी जाती है।
- विश्व बैंक की 'गरीबी और साझा समृद्धि-2016 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में दस में से एक व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 डॉलर पर जीवन-यापन करता है।
- गरीबी के विभिन्न आयाम एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होते हैं; जैसे-गरीबों की संख्या अधिक होने से उनकी मजदूरी दर में कमी हो जाती है क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है। मजदूरी दर कम होने से आय कम हो जाती है। इस वजह से परिवार के बच्चों को भी श्रम कार्य में लगाना पड़ता है। इससे बालश्रम की समस्या उत्पन्न होती है।
- बच्चे कौशल विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार गरीबों की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मजदूरी मे ही रह जाती है, इसे **निर्धनता का दुश्चक्र** कहते हैं।
- भारत में गरीबी का आकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है।
- सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु उपयोग व्यय को अधिकार माना है, जिसके अनुसार 2004-05 में देश में 27% के स्थान पर 37% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 41.8% पाया गया है, जो पहले 28.3% आकलित किया गया था।
- योजना आयोग के सदस्य डॉ. अभिजीत सेन के अध्ययन के अनुसार 2004-05 से 2009-10 के दौरान पाँच वर्षों में देश में निर्धनता अनुपात (Poverty Ratio) में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में देश की कुल 100 करोड़ जनसंख्या में 37 करोड़ लोग निर्धन थे, जबकि 2009-10 में 121 करोड़ की जनसंख्या में निर्धनों की संख्या 38.5 करोड़ आकलित की गई है। इस प्रकार 2004-05 में निर्धनता अनुपात 37.2% था, जबकि 2009-10 में यह 32% रह गया।

गरीबी के कारण

- **कृषि पर निर्भरता**- अधिकांश विकासशील देशों में लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा ग्रामीण गरीबी का एक प्रमुख कारण भूमि का अपर्याप्त मालिकाना हक होना।
- किसान ज्यादातर साहूकार या महाजानों के ऋणजाल में फंस जाते हैं तथा गरीबी की स्थिति से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वर्तमान में कृषि में लाभ की संभावना बहुत कम होती जा रही है।
- **पर्याप्त रोजगार अवसरों का अभाव** - रोजगार की अनुपलब्धता भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ज्यादातर ग्रामीण गरीब शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, परंतु शहरों में भी उचित रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते तथा जीवन स्तर भी निम्नतम हो जाता है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा** - शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी अत्यावश्यक बुनियादी सुविधा के अभाव में गरीबी और अधिक बढ़ती है क्योंकि लोग अधिकांशत: अस्वस्थ एवं बीमार बने रहते हैं।

भारत के सन्दर्भ में गरीबी के कारण

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण के विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह कट-ऑफ वर्ष 2011 की क्रयशक्ति क्षमता पर आधारित है। प्रतिदिन व्यय क्षमता तय की गई है।

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने जुलाई 2014 को गरीबी के विषय में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 32 प्रतिदिन तथा शहरों में रु. 47 प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीब नहीं समझा जाना चाहिए।
- तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी निर्धारण की सीमा को लेकर काफी विवाद हुआ था तथा इनकी समीक्षा के लिये ही रंगराजन समिति का गठन किया गया था।
- रंगराजन समिति के आधार पर भारत की 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि तेंदुलकर समिति के आधार पर यह संख्या 21.9% ही थी।
- वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश- छत्तीसगढ़ (39.93%), दादर व नागर हवेली (39.31%) तथा झारखण्ड (36.96%) है।
- वर्ष 2011-12 में न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश- अंडमान व निकोबार (1%), लक्षद्वीप (2.77%) तथा गोवा (5.09%) है।
- वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश (598.19 लाख), बिहार (358. 15 लाख) तथा मध्य प्रदेश (234.06 लाख) है।

बेरोजगारी

- जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है, लेकिन वह काम पाने में अक्षम रहता है तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है।
- बेरोजगारी को सामान्यत: बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रमबल (Labour force) में शामिल व्यक्तियों की संख्या से भाग देने पर बेरोजगारी दर प्राप्त होती है।
- भारत में बेरोजगारी से संबंधित आँकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी किये जाते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र द्वारा अधिकांश रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगार तथा शहरी क्षेत्रों में ठेके पर बहाल मजदूर आदि शामिल किये जाते हैं।

बेरोजगारी के प्रकार

- **पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी** - वार्षिक रोजगार के आकलन के लिये कार्य दिवसों की मानक संख्या 270 है। अगर किसी व्यक्ति के पास 35 से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है।
- यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा एवं 135 दिनों से कम हों तो उसे अर्द्ध बेरोजगार माना जाएगा। वहीं 135 दिनों से अधिक के रोजगार की स्थिति में उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है।
- **संरचनात्मक बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है। भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है। तकनीकी के प्रयोग से अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है, परन्तु संसाधनों के अभाव के कारण उद्योग खुद को समायोजित नहीं कर पाते।
- इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता होती है, परन्तु इस प्रकार के श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते। ये सभी संरचनात्मक बेरोजगारी के उदाहरण है।
- **खुली बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को बिना किसी रोजगार के रहना पड़ता है। अकुशल श्रमिक व शिक्षित बेरोजगार इसी श्रेणी में आते हैं।
- **अल्परोजगार बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी में थोड़े समय के लिए रोजगार मिलता है। कृषि श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं।
- **शिक्षित बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता।
- मैट्रिक पास व्यक्तियों को ही शिक्षित बेरोजगारी में रखा जाता है। केरल में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारी है।
- **मौसमी बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी में वर्ष के कुछ माह कार्य नहीं मिलता। निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक व बैंड बाजा कम्पनी इसका सामना करती हैं।
- **घर्षणात्मक बेरोजगारी** - इस प्रकार की बेरोजगारी बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से तथा मांग कम होने से होती है।
- **अदृश्य बेरोजगारी** - जब श्रमिक को उत्पादन से अलग करने पर भी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े तो ऐसे श्रमिकों के सीमान्त उत्पादन को शून्य कहा जाता है।
- कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है।

प्रमुख महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

उड़ान क्षेत्रीय वायु सम्पर्क योजना-

- 21 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजपति राजू ने उड़ान (UDAN) योजना का शुभारम्भ किया।
- इससे आम व्यक्तियों के लिये इकाई सेवा को वाहनीय बनाया जा सकेगा। यह योजना 10 वर्षों तक प्रवर्तन में रहेगी।
- चयनित विमान सेवा ऑपरेटर को उड़ान योजना के तहत् वायुयान के लिये न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 उड़ान सीटें और हेलीकॉप्टर के लिये न्यूनतम 5 और अधिकतम 13 सीटें रियायती दर पर उपलब्ध करानी होंगी।
- विमान से 500 किमी. की एक घंटे की यात्रा तथा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिये किराये की सीमा 2500 रुपये होगी।

सौर सुजला योजना

- 1 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को सस्ते दर पर सोलर पंप मुहैया कराने हेतु 'सौर सुजला योजना' का नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में शुभारम्भ किया।
- प्रधानमंत्री ने इस योजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया।
- छत्तीसगढ़ इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना-

- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारम्भ किया।
- योजना वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2016-10 तक 3 वर्ष के लिये चलायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें मुफ्त में (LPG) गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन वितरित करना है, जिसके लिये 8000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के अन्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना है।

स्मार्ट गंगा शहर योजना

- 13 अगस्त, 2016 को केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देश के प्रमुख 10 शहरों में स्मार्ट गंगा शहर योजना की शुरुआत की।
- ये शहर हैं- हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहिबगंज और बैरकपुर।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना

- इस परियोजना का शुभारम्भ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई बिजयन ने 23 जुलाई, 2016 को किया।
- परियोजना का क्रियान्वयन कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। कोच्चि ऐसा पहला भारतीय शहर है, जहाँ मेट्रो रेल हेतु फीडर सेवा के रूप में जल संपर्क का विकास किया जाएगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपान्तरित करने के लिये केन्द्र सरकार ने नेशनल रूर्बन मिशन का शुभारम्भ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव जिले के कुरूभात गाँव से 21 फरवरी, 2016 को किया। इस मिशन के तहत् प्रत्येक राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र में गाँवों का शहरी सुविधाओं से युक्त क्लस्टर आधारित विकास किया जाएगा। इस मिशन का नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन किया गया था।

स्टैंड अप इंडिया योजना

- 6 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्टैण्ड अप इंडिया योजना को स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना

- 6 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रीय जल मिशन को लागू करने की मंजूरी दी। यह केन्द्रीय परियोजना है और इसके लिये रु. 3679.7674 करोड़ निर्धारित किये गये हैं इसमें रु. 3,640 करोड़ राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के लिये और रु. 39,7674 करोड़ राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के लिये रखा गया है। इसे दो चरणों में लागू किया जायेगा। राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत स्वतंत्र संगठन होगा।

प्रधानमन्त्री जन धन योजना

- प्रधानमन्त्री जन धन योजना 28, अगस्त, 2014 से वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिये नयी दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारम्भ की गयी।
- इस योजना के अन्तर्गत बैंक खाता खोलने वालों को स्वेदशी रूपे कार्ड, 1 लाख रु. की दुर्घटना बीमा उपलब्ध करायी गयी साथ ही साथ 6 हजार रु. का Overdraft की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमन्त्री मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसमें भारत में बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) में गिरावट की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह वक्तव्य जारी किया गया कि जहाँ वर्ष 1991 में बाल लिंगानुपात (945) था, वहीं 2001 की जनगणना में अपने न्यूनतम स्तर (927) तक पहुँच गया, जबकि 2017 की जनगणना में अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर (919) तक पहुँच गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के साथ ही 2 दिसम्बर, 2014 में सरकार द्वारा बालिकाओं के लिये छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिये एक विशेष योजना सुकन्या समृद्धि खाता का प्रारम्भ किया।
- इस खाते में न्यूनतम 1000 रु. वार्षिक तथा अधिकतम 50,000 रु. तक वार्षिक राशि प्रति वर्ष 14 वर्ष तक जमा किया जा सकेगा तथा 27 वर्ष की आयु होने पर उसे ब्याज सहित पूरा लौटा दिया जायेगा।
- माता-पिता द्वारा बालिका के नाम से उसके जन्म लेने से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकेगा तथा 10 वर्ष की आयु के पश्चात बालिका स्वयं उस खाते का संचालन करेगी।

अटल पेंशन योजना

- सरकार ने 9 मई, 2015 को तीन नई योजनाओं की शुरुआत की- दो बीमा योजनाएँ प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना और एक पेंशन योजना (अटल पेंशन योजना)।
- अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु समूह के सभी भारतीयों के लिये है। हर व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक अंशदान देना होगा। 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा।

सागरमाला परियोजना

- 15 अगस्त, 2003 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी के द्वारा 7500 किमी. लम्बी तट रेखा को भारत की आर्थिक स्थिति से जोड़ने की घोषणा की गयी तथा उसी दिन इस परियोजना का शुभारम्भ कर दिया गया।
- सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बन्दरगाहों के आस-पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना था। देश की कुल व्यापार मात्रा में 90% की हिस्सेदारी बन्दरगाहों की, जबकि कुल मूल्य में 72% की हिस्सेदारी है।

अमरुत (Atal mission fo Rejveration of Urban Transfarmation) योजना

- 25 जून, 2015 को शुरू किये गये AMRUT योजना के अनतर्गत सबके लिये घर तथा शहरी नवीनीकरण को शामिल किया गया है, जिसमें पहले चरण में 5,000 करोड़ की धनराशि AMRUT के लिये तथा 5,000 करोड़ रु. स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु व्यय किया जायेगा।
- देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना में पहले चरण में 20 शहर चुने जा चुके हैं। इन 20 शहरों में भुवनेश्वर, इन्दौर, पुणे, दावणेनगर, नई दिल्ली, जयपुर, कोयम्बटूर, सूरत, काकीनाड़ा, सोलापुर, कोच्चि, बेलगाम, अहमदाबाद, जबलपुर, उदयपुर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, चेन्नई, लुधियाना, भोपाल।
- 16 मई, 2016 को दूसरे चरण में 22 और शहरों को शामिल कर लिया गया है।
- उ. प्र. के 13 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है।

स्टैण्ड अप योजना

- स्टैण्ड अप योजना भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत पिछले वित्तीय वर्ष जनवरी 2016 को की गयी, जबकि इसकी घोषणा 15 अगस्त, 2015 में की गयी थी।
- स्टैण्ड अप योजना प्रधानमन्त्री मोदी की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत समानता के अधिकार को उद्देशित करते हुये 16 जनवरी को यह उद्घोषित करते हुये शुरू

किया गया कि यह आधिकारिक रूप से बाबू जगजीवनराम के जन्म दिवस 5, अप्रैल, 2016 से पूरे भारत में प्रारम्भ कर दी जायेगी।

- STDBI के द्वारा स्टैण्ड अप योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण किया जायेगा तथा वर्ष 2018 तक 2.5 लाख नये उद्यम की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

स्टार्ट अप योजना

- इस योजना की शुरुआत नयी दिल्ली के विज्ञान भवन से आधिकारित रूप में 16, जनवरी, 2016 से कर दी गयी।
- इस योजना के अन्तर्गत नागरिकों को स्टार्ट अप देने के लिये नये कारोबारों के अर्जित आय को 3 वर्षों तक इन्कम टैक्स से मुक्त रखा जायेगा तथा पेटैन्ट शुल्क में 80% की छूट दी जायेगी।
- स्टार्ट अप योजना के लिये भारत सरकार द्वारा यह घोषण की गयी कि पहले 3 वर्षों तक श्रम एवं पर्यावरणीय सम्बन्धी 9 विभिन्न कानूनों के पालन करने की जिम्मेदारी स्वयं उद्यमी की होगी। इसकी कोई जाँच नहीं करायी जायेगी।

मेक इन इण्डिया योजना

- मेक इन इण्डिया कार्यक्रम 14 सितम्बर, 2014 को दिल्ली के एक सम्मेलन में घोषित करते हुये 25 सितम्बर, 2014 से पूरे देश में प्रारम्भ करने की आधिकारिक घोषणा कर दी गयी।
- 25 सितम्बर, 2014 को ही चीन के द्वारा मेड इन चाईना की भी शुरुआत की गयी।
- इस योजना का प्रतीक चिह्न सिंह रखा गया जो साहस, बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक भी है।

कृषि क्षेत्र

- कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। लगभग 55 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों में संलग्न है जो देश के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में 17.4 प्रतिशत (2016-17) का योगदान देतीं हैं।
- कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है तथा तैयार माल बाजार उपलब्ध कराती है।
- भारत कपास, चावल, ग्वार की फली, काली मिर्च, खली और चीनी जैसी कुछ फसलों में महत्त्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व के कृषि व्यापार में भारत के निर्यात और आयात की हिस्सेदारी क्रमशः **2.46 प्रतिशत** तथा **1.45 प्रतिशत** थी। वर्ष 2014-15 के दौरान शीर्ष 10 निर्यात और आयात किये गये कृषि जिन्सों की हिस्सेदारी

वर्ष 2014-15 में निर्यात हिस्सेदारी

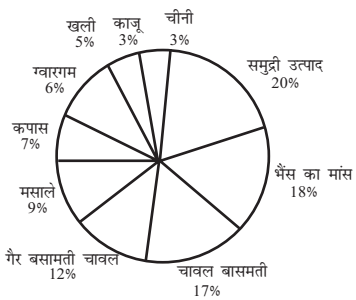

वर्ष 2014-15 में आयात हिस्सेदारी

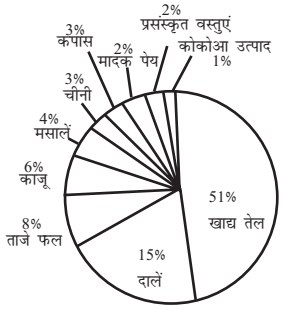

कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- बीजों और पौधरोपण सामग्रियों के विकास एवं उत्पादन, पुष्प, कृषि, बागवानी, सब्जी, मशरूम, मत्स्य पालन, जल कृषि आदि में 100 प्रतिशत की अनुमति दे दी गई है।
- इसी प्रकार रोपण क्षेत्र नामतः चाय, कॉफी, रबर, इलायची पॉम ऑयल वृक्ष व जैतून के तेल वृक्ष में भी 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी गई है।
- अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2015 तक कृषि क्षेत्र में 11090.09 करोड़ रु. का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है।

कृषि संगणना 2010-11

- 9 दिसम्बर, 2015 को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि संगणना 2010-11 (द्वितीय चरण) पर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी किया गया।

- वर्तमान में संदर्भ वर्ष 2010-11 देश की **9वीं कृषि संगठन** है।
- कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार, देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2005-06 के 129.2 मिलयन बढ़कर वर्ष 2010-11 के 138.35 मिलियन हो गई है, जो पांच वर्षों की अवधि में 7.06% की वृद्धि है।
- भारत में सर्वाधिक जोतो की संख्या सीमान्त प्रकार का है।

क्रं	श्रेणी	परिचालित क्षेत्र
1.	सीमान्त जोत	1.00 हेक्टेअर से कम
2.	लघु जोत	1.00-2.00 हेक्टेअर
3.	अर्द्धमध्यम जोत	2.00-4.00 हेक्टेअर
4.	मध्यम जोत	4-10 हेक्टेअर
5.	वृहद जोत	10 हेक्टेअर और उससे अधिक

- जोतों की सीमाबन्दी जोत का वह महत्त्व क्षेत्रफल होता है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है और इससे ज्यादा जोत का होना अवैध माना जाता है।
- वर्ष 1920 में भारत में सबसे पहले चकबन्दी व्यवस्था **बड़ौदा** में लागू की गई।
- **राष्ट्रीय किसान आयोग** का गठन जनवरी 2004 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे।
- हरित क्रान्ति का प्रारम्भ तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) योजना से माना जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा।
- वर्ष 1904 में सहकारी साख संगठन का प्रचलन शुरू हुआ।

शीर्ष राज्य (फसल क्षेत्र में)		
फसल	**शीर्ष राज्य**	**प्रतिशत (भारत में)**
खाद्यान्न	1. उत्तर प्रदेश 2. मध्य प्रदेश 3. राजस्थान	15.75 12.74 10.59
चावल	1. उत्तर प्रदेश 2. पश्चिम बंगाल 3. ओडिशा	13.53 12.58 9.08
गेहूं	1. उत्तर प्रदेश 2. मध्य प्रदेश 3. पंजाब	31.92 19.55 11.58
ज्वार	1. महाराष्ट्र 2. कर्नाटक 3. राजस्थान	49.56 19.29 11.15
बाजरा	1. राजस्थान 2. उत्तर प्रदेश 3. महाराष्ट्र	58.02 14.04 9.17
मक्का	1. कर्नाटक 2. मध्य प्रदेश 3. महाराष्ट्र	13.58 12.66 11.62
कुल दालें	1. मध्य प्रदेश 2. राजस्थान 3. महाराष्ट्र	22.80 15.32 13.30
चना	1. मध्य प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. कर्नाटक	36.17 17.25 16.41

तूर (अरहर)	1. महाराष्ट्र 2. कर्नाटक 3. मध्य प्रदेश	27.73 17.33 15.47
काजू (2014-15 (हजार हे. में)	1. महाराष्ट्र 2. आन्ध्र प्रदेश 3. ओडिशा	18.09 18.02 17.52
नारियल (2014-15 (हजार हे. में)	1. केरल 2. कर्नाटक 3. तमिलनाडु	32.89 26.07 23.54
सूरजमुखी	1. कर्नाटक 2. महाराष्ट्र 3. आन्ध्र प्रदेश	70.21 6.38 6.38
सोयाबीन	1. मध्य प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. राजस्थान	50.64 32.05 10.37
रेपसीड एवं सरसों	1. राजस्थान 2. मध्य प्रदेश 3. उत्तर प्रदेश	44.27 10.76 10.24
प्याज (2014-15 (हजार हे. में)	1. महाराष्ट्र 2. कर्नाटक 3. मध्य प्रदेश	36.66 15.94 10.05
आलू (2014-15)(हजार हे. में)	1. उत्तर प्रदेश 2.पश्चिम बंगाल 3. बिहार	29.26 19.86 15.37
तंबाकू (2012-13)(हजार हे. में)	1. आन्ध्र प्रदेश 2. गुजरात 3. कर्नाटक	31.45 29.11 24.88
गन्ना	1. उत्तर प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. कर्नाटक	43.84 20.00 9.09
जूट एवं मेस्ता	1. पश्चिम बंगाल 2. बिहार 3. असम	69.62 15.19 10.12
कपास	1. महाराष्ट्र 2. गुजरात 3. तेलंगाना	32.27 22.91 14.91

शीर्ष उर्वरक खपत राज्य

राज्य	मात्रा (हजार टन)
उत्तर प्रदेश	3842.04
आन्ध्र प्रदेश	3119.43
महाराष्ट्र	2784.76
सम्पूर्ण भारत	24482.41

कृषि उत्पाद बोर्ड		
निकाय	**मुख्यालय**	**अधिनियम**
कॉफी बोर्ड	बंगलौर, कर्नाटक	कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4(k)
रबर बोर्ड	कोट्टायम	रबर अधिनियम (केरल) 1974 द्वारा
चाय बोर्ड	कोलकाता	चाय अधिनियम 1953
तम्बाकू बोर्ड	गुंटूर	तम्बाकू अधिनियम (आ. प्र.) 1975
मसाला बोर्ड	कोच्चि (केरल)	मसाला अधिनियम 1986
राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड	दिल्ली	26 दिसम्बर, 2008
भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड	पूणे	2 जनवरी, 2009

- चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त **अम्लीय मिट्टी** होती है।
- **नील हरित शैवाल, एजोला, एल्फा-एल्फा** आदि जैव-उर्वरक **धान** की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं।
- भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ई. में हुई थी तथा भारत में इसके अग्रदूत **एम.एस. स्वामीनाथन** को माना जाता है एवं विश्व में इसका जनक **नार्मन ई. बोरलॉग** को माना जाता है।
- हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेंहू फसल पर पड़ा, परन्तु चावल की तुलना में गेंहूँ के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई।
- **केसर** का एकमात्र उत्पादन राज्य **जम्मू-कश्मीर** है।
- भारत में दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रान्ति लाने का श्रेय **डॉ. वर्गीज कुरियन** को जाता है।

भारत में प्रमुख क्रान्ति और सम्बन्धित उत्पादन की सूची		
क्र. सं.	**क्रान्ति**	**उत्पादन-सम्बन्ध**
1	हरित क्रान्ति	खाद्यान्न उत्पादन
2	श्वेत क्रान्ति	दुग्ध उत्पादन
3	पीली क्रान्ति	तिलहन उत्पादन
4	भूरी क्रान्ति	उर्वरक उत्पादन
5	नीली क्रान्ति	मत्स्य उत्पादन
6	लाल क्रान्ति	टमाटर/मांस उत्पादन
7	गुलाबी क्रान्ति	झींगा मछली उत्पादन
8	बादामी क्रान्ति	मसाला उत्पादन
9	सुनहरी क्रान्ति	फल उत्पादन
10	रजत क्रान्ति	अंडा उत्पादन
11	कृष्ण क्रान्ति	बायोडीजल उत्पादन

12	अमृत क्रान्ति	नदी जोड़ो परियोजनाएं
13	काली क्रान्ति	पेट्रोलियम उत्पादन
14	गोल्डन फाइबर क्रान्ति	जूट उत्पादन
15	स्वर्ण क्रान्ति	फल/शहद उत्पादन
16	सिल्वर फाइबर क्रान्ति	कपास उत्पादन
17	सदाबहार क्रान्ति	कृषि से/जैव तकनीकी
18	धुसर/स्लेटी क्रान्ति	सीमेंट
19	इंद्रधनुषीय क्रान्ति	सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु
20	सनराइज/सूर्योदय क्रान्ति	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु
21	सेफ्रॉन क्रान्ति	केसर उत्पादन से
22	स्लेटी/ग्रे क्रान्ति	उर्वरकों के उत्पादन से

कृषि उत्पादों का विपणन

- भारतीय किसानों की मुख्य समस्या कृषि उत्पादों का विपणन है।
- किसानों को उगती फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाये गये हैं-

न्यूनतम समर्थन मूल्य (M.S.P.)

- M.S.P वह मूल्य है, जिससे कम किसी उत्पाद के बाजार में दाम मिलने पर सरकार स्वयं खरीद लेती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य सीएसीपी (Commision for Agricultural costs and Prices) द्वारा घोषित किया जाता है, जिसकी स्थापना "1985" में की गयी थी।
- यह 1965 में स्थापित कृषि मूल्य आयोग (Agriculture Price Commission) का ही परिवर्तित नाम है।
- CACP 24 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, जिनमें चावल, गेहूँ, मोटा अनाज व दलहन फसलें शामिल हैं।
- वर्ष 2010-11 में गन्ने के लिये फेयर एण्ड रिम्यूनिरेटिव प्राइस की घोषणा की गयी।
- गन्ने को F.R.P से कम मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता।
- वर्ष 2003 में कीमत स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund) की स्थापना की गयी, जिसके तहत् 5 फसलों को चुना गया- **कॉफी, रबर, चाय, तम्बाकू, आलू**।
- इन फसलों के उत्पादन व कीमत के 10 वर्ष के औसत का बेंच मार्क बनाया जाता है।
- यदि उत्पादन या कीमत में 20% से अधिक कमी आती है तो इस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, परन्तु यदि उत्पादन या कीमत में 20% से अधिक की वृद्धि होती है तो इस कोष में जमा कराना पड़ता है।
- कृषि उत्पादों को खरीदने के लिये नफेड (NAFED) व ट्राईफेड (TRIFED) की स्थापना की गयी।

कृषि बीमा

- वर्ष 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गयी।
- वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गयी।
- वर्ष 2015 में सरकार ने 33% क्षति पर ही भुगतान का प्रावधान कर दिया।

राष्ट्रीय किसान आयोग

- वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया।
- इसका पहला अध्यक्ष सोमपाल शास्त्री को बनाया गया।
- कालान्तर में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बना दिया गया।
- कुछ प्रमुख सिफारिशें- (i) बाजार जोखिम स्थिरीकरण निधि का गठन किया गया, जो कृषि उपजों की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव की क्षतिपूर्ति करेगा। (ii) कृषि जोखिम निधि की स्थापना की जाय, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की सहायता करेगा।

अन्य कदम

- वर्ष 2004 में किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी, जिससे टोल फ्री नम्बर '1551' का प्रयोग करके किसान विशेषज्ञों से कृषि सम्बन्धित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

- अनेक प्रदेशों में पंचायतों द्वारा किसान मित्र और किसान सहायक की नियुक्तियां की गयी हैं जो कृषि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
- रूरल नॉलेज सेन्टर की स्थापना किसानों को आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के लिए की गयी है।

मुद्रा एवं पूँजी बाजार

- मुद्रा वह वस्तु है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विनिमय के माध्यम, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्य मापक तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है और जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है।
- **साख मुद्रा** - इस मुद्रा का उपयोग व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है जो विधिसम्मत नहीं होती है। इस प्रकार के मुद्रा को स्वीकार करना व्यक्ति के उपर निर्भर करता है अर्थात् बाध्यकारी नहीं होता है। इसके कुछ प्रचलित रूप हैं - (i) चैक (ii) विनिमय पत्र (iii) बैंकड्रॉफ्ट (iv) हुण्डी (v) प्रतिज्ञा पत्र।
- **वैधानिक मुद्रा** - इसका निर्गमन सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जो एक विधान के अन्तर्गत होता है।
- **मुद्रा की तरलता** - इसका तात्पर्य है कि मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी हानि के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाये।
- **मुद्रा गुणक** - यह दो अनुपातों पर निर्भर करता है - करेंसी - जमा अनुपात तथा आरक्षित निधि जमा अनुपात।

  मुद्रा गुणक $(m) = \frac{C + D}{C + R}$

  जहाँ C = चलन में करेंसी मात्रा

  D = कुल जमा राशियां

  R = बैंकों की केन्द्रीय बैंक के पास रक्षित निधि
- रुपये के प्रतीक चिह्न (₹) की रचना **डी. उदय कुमार** ने किया। भारत अपने रुपये का अलग प्रतीक चिह्न रखने वाला डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउण्ड के बाद विश्व का पाँचवां देश बन गया है।
- चक्रवर्ती कमेटी भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से सम्बन्धित है।
- वर्ष 1957 मे भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आयी।
- **कृत्रिम मुद्रा** ऐसी मुद्रा होती है जो चलन में नहीं होती है, किन्तु लेखांकन में प्रयोग की जाती है; जैसे - SDR
- 1970 - 71 से भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए M_1, M_2, M_3 तथा M_4 का प्रयोग किया जाता है।
- M_1 के अन्तर्गत लोगों के पास नकद मुद्रा, बैंकों के पास माँग जमाएं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल की जाती हैं।
- M_2 की गणना के लिए M_1 में डाकघरों के पास बचत बैंक में जमाएं (Saving Deposits with the Post Offices) जोड़ी जाती हैं।
- M_3 ज्ञात करने के लिए M_1 में बैंको की सावधि जमाएं (Time Deposits with Banks) जोड़ दी जाती हैं।
- M_4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप है। इसमें M_3 के साथ-साथ डाकघरों की समस्त जमाएं सम्मिलित होती हैं।
- **सॉफ्ट करेंसी** का तात्पर्य है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक हो।
- एक रुपये का नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्तमंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा किया जाता है।
- करेंसी नोटों (5, 10, 20, 50, 500 तथा 2000 रु) का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरीशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है।
- संक्रमण की अवधि के दौरान भारत ने पूर्ववर्ती समय की मुद्रा प्रणाली और मुद्रा एवं सिक्कों को जारी रखा। जहाँ पाकिस्तान ने सिक्कों की नई श्रृंखलाएं 1948 में और नोटो की श्रृखलाएं 1949 में शुरू की, वहीं भारत ने अपने विशेष सिक्के 15 अगस्त, 1950 को जारी किए।
- देश की पहली नोट छापने वाली फैक्ट्री **नासिक** में 1926 में स्थापित की गई थी वह 1928 से नोट छाप रही है। इसके बाद 1975 में देवास,

मध्य प्रदेश में दूसरी, वर्ष 1999 में **मैसूर** में तीसरी ओर वर्ष 2000 में सालबोनी, पश्चिम बंगाल में चौथी नोट छापने वाली प्रेस की स्थापना की गई।

- **पूँजी बाजार** – किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे बड़ा साधन पूँजी बाजार होता है। यह **संगाठित** एवं **असंगठित** दोनों क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करता है।
- **गिल्ट-एज्ड** बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से सम्बन्धित है।
- भारत में सर्व प्रथम 1917 में ट्रेजरी बिल्स निर्गत किया गया था।
- **स्टॉक मार्केट** – यह एक संस्थानीकृत वित्तीय संगठन है। जहाँ प्रतिभूति बाजार के संघटकों जैसे – शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर आदि की क्रय – विक्रय की जाती है।

भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज	
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	मुम्बई (महाराष्ट्र)
पुणे स्टॉक एक्सचेंज	पुणे (महाराष्ट्र)
अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज	अहमदाबाद (गुजरात)
सौराष्ट्र –कच्छ स्टॉक एक्सचेंज	राजकोट (गुजरात)
बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज	बेंगलुरु (कर्नाटक)
मंगलौर स्टॉक एक्सचेंज	मंगलौर (कर्नाटक)
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज	भुवनेश्वर (ओडिशा)
कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
कोच्चि स्टॉक एक्सचेंज	कोच्चि (केरल)
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज	दिल्ली
गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज	गुवाहाटी (असोम)
हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
जयपुर स्टॉक एक्सचेंज	जयपुर (राजस्थान)
चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज	चेन्नई (तमिलनाडु)
मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज	इन्दौर (मध्य प्रदेश)
लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज	लुधियाना (पंजाब)
बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज	बड़ोदरा (गुजरात)
कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	मुम्बई (महाराष्ट्र)
ओवर द काउण्टर एक्सचेंज ऑफ इण्डिया	मुम्बई (महाराष्ट्र)

- **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड** – सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल, 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।
- सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूति बाजार का विनियमन, निवेशकों के हितों की सुरक्षा, म्यूचुअल फण्ड्स का पंजीकरण, प्रतिभूति व्यापार से जुड़े संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण, उनका पंजीकरण एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रसिद्ध बाजारों के मुख्य शेयर सूचकांक	
सूचकांक	**देश**
डॉलेक्स (DOLLEX), सेंसेक्स (SENSEX), एस एण्ड पी सी एन एक्स-निफ्टी फिफ्टी (S & PCNX-NIFTY FIFTY), बैंकेक्स (BANKEX)	मुम्बई (भारत)
डो जोन्स (Dow Jones)	संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयॉर्क)
निक्की (Nikkei)	टोकियो
मिड डेक्स (MID DAX) फ्रैंकफर्ट	जर्मनी
शंघाई कॉम (SHANGHAI COM)	चीन
नैस्डैक (NASDAQ)	संयुक्त राज्य अमेरिका
एस एण्ड पी	कनाडा
बोवेस्पा	ब्राजील
मिब्टेल	इटली
आई पी सी	मैक्सिको
हाँग सेंग (HANG SENG)	हाँगकाँग
सिमेक्स (SIMEX) स्ट्रेट्स टाइम्स (STRAITS TIMES)	सिंगापुर
कोस्पी (KOSPI)	कोरिया
सेट (SET)	थाइलैंड
तेन (TAIEN)	ताइवान

- **वायदा बाजार** (Futures Market) - ऑनलाइन माध्यमों से विभिन्न वायदा बाजार या जिंसों (गेहूँ, चावल, तिलहन, दलहन, तेल आदि का व्यापार होता है) का भविष्य में लाभ के आधार पर व्यापार करने वाले बाजार को वायदा बाजार या कॉमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट कहते हैं।
- सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) शब्दावली उस क्रिया विधि को इंगित करती है, जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है।
- प्रधान उधारी दर (PLR) को RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।
- एक्चुअरीज (Acturies) शब्द बीमा क्षेत्र से सम्बन्धित है। एक्चुअरीज का सम्बन्ध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से है।
- बुल तथा बियर शेयर बाजार के शब्द हैं, जिनका अर्थ क्रमशः **तेजड़िया** तथा **मंदडिया** होता है। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं तथा जो व्यक्ति शेयर की कीमत गिरने की आशा करता है, वह मंदड़िया कहलाता है।
- वर्ष 2015 तक बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में 25 कंपनिया थीं।
- बंबई शेयर बाजार, दलाल स्ट्रीक मुम्बई में स्थित है।
- 28 सितम्बर, 2015 को वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय कर दिया गया।
- भारत का पहला संगठित वायदा बाजार 1875 ई. में मुम्बई में खुला था, जिसका नाम बॉम्बे कॉटन एण्ड ट्रेड एसोसिएशन है।
- विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार एम्सटर्डम (1602), नीदरलैंड में स्थापित किया गया था।

- डी जोंस, निक्की तथा सिमेक्स क्रमशः न्यूयॉर्क, जापान तथा सिंगापुर के शेयर मूल्य सूचकांक हैं।
- सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था।
- **बीमा** - भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। भारतीय जीवन बीमा व्यवसाय का 1956 ई. में राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई। वर्ष 1972 में सामान्य बीमा निगम की स्थापना की गई।
- **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** - वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम (life Insurance Company) की स्थापना की गई। LIC का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है।
- LIC के आठ क्षेत्रीय (कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और भोपाल) कार्यालय है।
- **जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया** (GIC) - भारत सरकार ने नवम्बर, 1972 ई. में भारतीय साधारण बीमा निगम के नाम से एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की, जिसे बाद में चार साधारण बीमा कम्पनियों में बांट दिया गया।

कम्पनी	मुख्यालय
न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	मुम्बई
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	कोलकाता
यूनाटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	चेन्नई
ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	नई दिल्ली

- **भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण** - इसका गठन 19 अप्रैल, 2000 में मल्होत्रा समिति के आधार पर किया गया, जिसका मुख्यालय हैराबाद में है। इसका उद्देश्य पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग कर क्रमबद्ध विनियमन, सम्वर्द्धन तथा सम्बन्धित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है।

बैंकिंग व्यवस्था

- भारत में स्थापित पहला बैंक **'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान'** था, जिसकी स्थापना एलेक्जेण्डर कंपनी द्वारा 1770 ई. में कोलकाता में की गयी थी।
- अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ई. में की गयी थी। यह भारतीयों द्वारा सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक था।
- भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्णरूप से संचालित पहला बैंक **पंजाब नेशनल बैंक** था, जिसकी स्थापना 1894 में की गयी थी।
- भारत में निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों- बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) तथा बैंक ऑफ मद्रास (1843) की स्थापना की गयी। 1921 में इन तीनों को मिलाकर **इम्पीरियल** बैंक की स्थापना की गयी।
- जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके **भारतीय स्टेट बैंक** बनाया गया।
- हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गयी, जिसका 1949 ई. में राष्ट्रीयकरण किया गया।
- जुलाई 1969 में निजी बैंक स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किन्तु 1993-94 में प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया।
- सरकार द्वारा 4 सितम्बर, 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 'नेशनल बैंक' में विलय कर दिया गया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंको की संख्या 19 हो गयी।

अनुसूचित बैंक

- ये वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। इनके लिए निम्न मापदण्ड हैं -

(i) परिदत्त पूंजी (Paidup Capital) तथा रक्षित निधियों का कुल मूल्य 5 लाख रूपए से कम नहीं होना चाहिए।

(ii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आश्वासन देना होगा कि इनकी क्रियाएँ जताकर्ताओं के हितों के विरूद्ध नहीं होंगी।

(iii) इन्हें राज्य सहकारी बैंक या कंपनी अधिनियम 1955 की धारा 3 में परिभाषित कंपनी, या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था या एक निगम या भारत से बाहर किसी देश में लागू कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी होनी चाहिए।

गैर-अनुसूचित बैंक

- इस सूची में वे बैंक शामिल किए जाते हैं जो आर. बी. आई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में तो सम्मिलित होते हैं, किन्तु ये वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन होते हैं और इन्हें निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार होता है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण और उधार लेने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है।
- वर्तमान में भारत में 50 विदेशी बैंक हैं, जिनमें से इंग्लैण्ड के '**स्टैण्डर्ड चार्टर्ड** बैंक की सर्वाधिक शाखाएँ (102) हैं।

भारत में कार्यरत प्रमुख विदेशी बैंक		
बैंक	**शाखाएं**	**निगमित देश**
1. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	102	इंग्लैण्ड
2. एचएसबीसी	50	हांगकांग
3. सिटी बैंक	45	यूएसए
4. ड्यूश बैंक	18	जर्मनी
5. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड	10	नीदरलैंड
6. डीबीएस बैंक	12	सिंगापुर
7. बारक्लेज बैंक	07	इंग्लैण्ड
8. बैंक ऑफ अमेरिका	05	यूएसए
9. बैंक ऑफ बहरीन एण्ड कुवैत	04	बहरीन
10. दोहा बैंक	03	कतर

निजी बैंक

- निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिग व्यवस्था के ही भाग हैं, जिनके अधिकांश शेयर या इक्विटी निजी शेयर होल्डरों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं।
- बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही वर्चस्व रहा है, किन्तु उदारीकरण के बाद पुराने एवं नए निजी क्षेत्र के बैंकों में पुनः उभार आया है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को भारत में वित्तीय नियामकों द्वारा पुराने एवं नए दो समूहों में विभाजित किया जाता है।
- **नेडुंगडी बैंक** भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसकी स्थापना **राव बहादुर टी.एम.** (थालकोडी मदाथाई) द्वारा 1899 ई. में की गयी थी। यह केरल में कोझिकोड के अप्पू नेडुंगडी में स्थापित किया गया था।
- नेडुंगडी बैंक का 2003 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हो गया। निजी क्षेत्र का दूसरा बैंक सिटी यूनियन बैंक हैं, जिसकी स्थापना 1901 में की गयी थी।
- जो निजी बैंक 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद स्थापित किए गए, उन्हें 'नए निजी क्षेत्र का बैंक' कहा गया। 1993 में बैंक विनियमन अधिनियम संशोधित किया गया, जिसनें भारतीय बैंकिग क्षेत्र में नए निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी।

भारत में प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक	
बैंक	**स्थापना वर्ष**
एक्सिस बैंक (पूर्व UTI)	1994
एचडीएफसी बैंक	1994
डीसीबी बैंक (सहकारी बैंक से परिवर्तित अब डीसीबी बैंक लिमिटेड)	1995
आईसीआईसीआई बैंक	1996
इंडसइंड (Indusind) बैंक	1994
कोटक महिन्द्रा बैंक	2003
यस (Yes) बैंक	2005
आईडीएफसी बैंक	2015
बंधन बैंक	2015

- 19 जुलाई, 1969 को उप-राष्ट्रपति बी.बी. गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से बैंकिंग कंपनीज (उद्योगों के अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अध्यादेश जारी किया, जिसके द्वारा 14 व्यापारिक (वाणिज्यिक) बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनका नाम ज्यों-का-त्यों रहा।
- **14 राष्ट्रीयकृत बैंक थे-**

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
2. बैंक ऑफ इण्डिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. केनरा बैंक
5. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
6. सिंडिकेट बैंक ऑफ इण्डिया
7. बैंक ऑफ बड़ौदा
8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
9. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
10. देना बैंक
11. इलाहाबाद बैंक
12. इण्डियन बैंक
13. इण्डियन ओवरसीज बैंक
14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र

- 14 बैकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर एल.के.झा थे।
- 15 अप्रैल, 1980 को सरकार ने पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये बैंक थे -

1. आन्ध्रा बैंक
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3. विजया बैंक
4. कॉर्पोरेशन बैंक
5. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
6. न्यू बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

- 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक, ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम 'भारतीय स्टेट बैंक' कर दिया गया। इसके अंतर्गत 8 बैंक शामिल थे, किन्तु **स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर** और **स्टेट बैंक ऑफ जयपुर** के कार्यक्षेत्र एक होने के कारण दोनों को मिला दिया गया, जिससे स्टेट बैंक समूह में 7 बैंक हो गए।
- 1 अप्रैल, 2017 को स्टेट बैंक के शेष 5 सहायक बैंकों को भारतीय **स्टेट बैंक में मिला** दिया गया।
- 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आरबीआई भागीदार नहीं था, किन्तु 1980 में हुए राष्ट्रीयकरण की पहल इसी ने की थी।
- सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है।
- पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बैंक हैं, जिनमें सरकारी धारिता 100 प्रतिशत हैं।
- भारत में बैंकों की कार्य प्रणाली बैंकिग नियमन अधिनियम 1949 (जिसे पहले बैंकिग कंपनीज अधिनियम कहा जाता था) द्वारा नियमित होती है।
- जुलाई 1955 को आरबीआई ने स्टेट बैंक के 92 प्रतिशत अंशों का अधिग्रहण किया, इस प्रकार यह पहला राज्याधारित बैंक बना।
- एसबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक में वे बैंक आते हैं, जो 1969 के राष्ट्रीयकरण तथा उसके बाद सरकार के स्वामित्व में आए।
- जनवरी 1969 में सरकार ने **आर.जी.सरैया** की अध्यक्षता में बैंकिग आयोग की स्थापना की, जिसनें जनवरी 1972 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

भारतीय रिजर्व बैंक

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केन्द्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत् 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूँजी के साथ की गयी। 5 करोड़ रुपए की यह राशि 100 रुपए मूल्य के 5 लाख शेयरों में विभाजित की गयी थी।
- प्रारंभ में इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था, किन्तु 1937 ई. में इसे मुम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। आरंभ में यह एक निजी बैंक था, किन्तु 1 जनवरी 1949 ई. को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे यह सार्वजनिक बैंक हो गया।

भारत के प्रतिभूति मुद्रण संस्थान

छापखाने

- **इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र):** नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press) में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक-भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर-अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।

- **सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद:** सिक्योरिटी, प्रिन्टिंग प्रेस, हैदाराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की माँगों को पूरा देश की केन्द्रीय उत्पाद एवं शुल्क स्टाम्प की माँग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके।
- **करेन्सी प्रेस नोट, नासिक (महाराष्ट्र) :** नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100 आदि के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।
- **बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) :** देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 ₹, 50 ₹, 100 और 500 ₹ के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है, बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।
- **शाहबनी (प. बंगाल) तथा मैसूर(कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड:** दो नए एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोटप्रेस मैसूर (कर्नाटक) में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियंत्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं। इन नए मुद्रणालयों में 1998-99 तक 10,000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता है।
- **सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) :** बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी।

टकसाल

- सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमश: 1830, 1903 और 1905 में स्थापित की गई थीं, जबकि नोएडा टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। नोएडा की टकसाल में नवीनतम मशीनरी तथा उपकरण हैं, परन्तु अन्य तीनों टकसालों की मशीनें काफी पुरानी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके रखरखाव पर काफी लागत आती है।
- **सिक्का निर्माण विधेयक 2009 (Coinage Bill) :** इस विधेयक को 25 मार्च, 2011 को लोकसभा एवं 11 अगस्त, 2011 को राज्य सभा में पारित किया गया था। इस विधेयक का मूल उद्देश्य देश में सिक्कों के निर्माण, सिक्कों की हिफाजत तथा सिक्कों को गलाने व उनके दुरुपयोग को रोकना है।
- इस विधेयक में सिक्कों के जरिए भुगतान करने व स्वीकार करने की अधिकतम सीमा 1000 निर्धारित की गई है। साथ ही सिक्कों को गलाने या नष्ट करने पर सजा का प्रावधान 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा भविष्य में ₹1000 मूल्य का सिक्का जारी करने की भी योजना बनायी गई है।

बैंकिंग लोकपाल

- 1995 में Banking Ombudsman / लोकपाल का गठन किया गया जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है।
- कुल 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। जिन्हें **'ग्राहक प्रहरी'** के नाम से भी जाना जाता है।
- यदि सम्बन्धित बैंक द्वारा 30 दिन के भीतर ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो बैंकिंग ओमबुड्समैन के पास शिकायत की जा सकती है। 2006 में इस कानून में कुछ संशोधन किये गये–

महत्त्वपूर्ण समितियाँ

समिति	कार्यक्षेत्र
राज समिति	कृषि जोतकर
भगवती समिति	बेरोजगारी
वांचू समिति	प्रत्यक्ष कर
एल. के. झा समिति	अप्रत्यक्ष कर

स्वामीनाथन समिति (1994)	जनसंख्या नीति
भूतलिंगम समिति	मजदूरी, आय और कीमतें
दांतवाला समिति	बेरोजगारी के अनुमान
सुखमय चक्रवर्ती समिति	मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार
सरकारिया समिति	केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
वैद्यनाथन समिति	सिंचाई के पानी
हजारी समिति (1967)	औद्योगिक नीति
दत्त समिति	औद्योगिक लाइसेंसिंग
महालनोबिस समिति	राष्ट्रीय आय
राजा चेलैया समिति	कर-सुधार
खुसरो समिति	कृषि साख
कोइपोरिया समिति	बैंक सेवा सुधार
नरसिम्हम समिति	वित्तीय (बैंकिंग) सुधार
जानकीरमन् समिति	प्रतिभूति घोटाला
रेखी समिति	अप्रत्यक्ष कर
रंगराजन समिति (1991)	भुगतान सन्तुलन
मल्होत्रा समिति	बीमा क्षेत्र में सुधार
सेन गुप्ता समिति	शिक्षित बेरोजगारी
डॉ. विजय केलकर समिति	प्राकृतिक गैस मूल्य
भण्डारी समिति (1994)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना
सुन्दरराजन समिति (1995)	खनिज तेल क्षेत्र में सुधार
डी. के. गुप्ता समिति (1995)	दूर संचार विभाग की पुनर्संरचना
विजय केलकर समिति (मार्च 2004)	फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेन्ट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा
सच्चर समिति (2005)	मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन
रंगराजन समिति (2006)	पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के सम्बन्ध में सिफारिशें देने हेतु
शंगलू समिति (2006)	सरदार सरोवर बाँध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु
पाठक आयोग (2006)	UNO के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जाँच हेतु
दीपक पारिख समिति (2007)	आधारिक संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु

औद्योगिक क्षेत्र

- भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। आजादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक व बड़े उद्योगों की स्थापना शुरु हुई।
- भारत में आजादी के बाद औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 1948 में पारित किया गया।

औद्योगिक नीति, 1956

- द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, जिसमें देश के तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, ने यह अनिवार्य कर दिया कि नियोजित आर्थिक विकास एवं तीव्र औद्योगीकरण हेतु स्पष्ट नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए।
- तीव्र औद्योगीकरण के लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए 30 अप्रैल, 1956 को औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गयी।

औद्योगिक नीति, 1977

- 23 दिसम्बर, 1977 को जनता सरकार के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की नीति पर ही बल दिया गया।

औद्योगिक नीति, 1980

- कांग्रेस सरकार द्वारा जुलाई 1980 में औद्योगिक नीति घोषित की गयी, जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के कुशलतम प्रबंध पर बल दिया गया ताकि इनकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकास की ओर अग्रसर करना था।
- ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक पंजीयक एवं पेटेंट नियंत्रक के निर्णयों के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई हेतु चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड स्थापित किया गया है।
- देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का योगदान 45% है, जबकि देश के कुल निर्यात में इनका योगदान 40% है।
- राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए हरित भूमि समन्वित शहर के विकास पर बल दिया गया है।
- भारत में सर्वाधिक उद्यमों की संख्या तमिलनाडु में है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है।

आर्थिक गणना

- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) ने विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए असंगठित उद्यमों के सर्वेक्षण के लिए बेहतर ढाँचा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1977 में पहली बार देशव्यापी आर्थिक गणना करायी गयी थी। यह गैर-कृषि उद्यमों के वितरण, रोजगार आदि से संबद्ध थी।
- दूसरी आर्थिक गणना 1980 में, तीसरी 1990 में तथा चौथी 1998 में करायी गयी थी।
- 5वीं आर्थिक गणना 2005 में तथा नवीनतम छठी आर्थिक गणना 2013 में करायी गयी थी।
- 30 जुलाई, 2014 को सांख्यिकी एव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा छठीं आर्थिक गणना के अनंतिम (Provisional) आंकड़े जारी किए गए।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 के दौरान छठी आर्थिक गणना का फील्डवर्क संचालित किया गया था।
- इस आर्थिक जनगणना में फसल उत्पादन, बागान (Plantation), सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर विविध कृषिगत एवं गैर-कृषिगत क्रियाकलाप में लगे प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है।
- इस गणना के अनुसार देश में कुल प्रतिष्ठानों की संख्या 58,470 हजार है, जिसमें से 35,023 हजार प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्र में एवं 23,447 हजार प्रतिष्ठान नगरीय क्षेत्र में अवस्थित हैं।
- इस प्रकार देश के कुल प्रतिष्ठानों में 59.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का एवं 40 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र का योगदान है।
- इस गणना के अनुसार 6,700,736 प्रतिष्ठान के साथ **उत्तर प्रदेश** का अग्रणी स्थान है।
- इस दृष्टि से अन्य अग्रणी चार राज्य इस प्रकार हैं– **महाराष्ट्र** (6,125,902), **पश्चिम बंगाल** (5,901,521), **तमिलनाडु** (5,052,444) एवं **आंध्र प्रदेश** (4,237,310)।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों में निवेश हेतु विधेयक

- भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा में वृद्धि करने हेतु एक विधेयक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015) 20 अप्रैल, 2015 को लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक में प्लांटों एवं मशीनों में निवेश की सीमा निम्नलिखित प्रकार प्रस्तावित हैं–

उद्यमों का प्रकार	वर्तमान निवेश सीमा (2006 में निर्धारित)	प्रस्तावित निवेश सीमा
(क) विनिर्माण उद्योग		
1. सूक्ष्म उद्योग	₹ 25 लाख तक	₹ 50 लाख तक
2. लघु उद्योग	₹ 25 लाख से अधिक, किंतु ₹ 5 करोड़ तक	₹ 50 लाख से अधिक, किंतु ₹ 10 करोड़ तक
3. मध्यम उद्योग	₹ 5 करोड़ से अधिक, किंतु ₹10 करोड़ तक	₹ 10 करोड़ से अधिक
(ख) सेवा उद्योग		
1. सूक्ष्म उद्योग	₹ 10 लाख तक	₹ 10 लाख तक
2. लघु उद्योग	₹ 10 लाख से अधिक, किंतु ₹ 2 करोड़ तक	₹ 10 लाख से अधिक, किंतु ₹ 5 करोड़ तक
3. मध्यम उद्योग	₹ 2 करोड़ से अधिक, किंतु ₹ 5 करोड़ तक	₹ 5 करोड़ से अधिक, किंतु ₹ 15 करोड़ तक

महारत्न कंपनियां

- इस योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य बड़े आकार के नवरत्न कंपनियों के बोर्ड को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है, जिससे उपक्रमों का संचालन घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार में भी हो सके।
- किसी भी नवरत्न कम्पनी को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड को आधार बनाया जाता है–

(i) कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।
(ii) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत कारोबार ₹ 20000 करोड़ रहा हो।
(iii) इस दौरान कम्पनी ने ₹ 2500 करोड़ का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
(iv) तीन वर्षों में कम्पनी का निवल मूल्य (नेटवर्थ) औसतन ₹ 15,000 करोड़ रहा हो।
(v) कम्पनी के पास नवरत्न का दर्जा हो।
(vi) कम्पनी का विदेश में भी कारोबार हो।

भारत की महारत्न कम्पनियाँ

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL)।
2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)।
3. भारतीय तेल निगम (IOC)।
4. राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (NTPC)।
5. कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL)।
6. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (BHEL)।
7. भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL)।

नवरत्न कंपनियां

- वर्ष 1997 में भारत सरकार ने नवरत्न योजना शुरू की थीं। इन कंपनियों में वे सभी कंपनियाँ शामिल थी, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता थी। नवरत्न योजना शुरू करने के दौरान इसमें 9 कंपनियाँ शामिल थीं, लेकिन महारत्न दर्जा शुरू होने के पश्चात् इसकी अनेक कंपनियों को महारत्न में शामिल कर दिया गया। ये 9 कंपनियाँ थीं- बीएचइएल, बीपीसीएल, जीएआईएस, एचपीसीएल, आईओसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, जीएआईएल। नवरत्न कंपनियाँ ₹1000 करोड़ तक के निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं।
- नवरत्न दर्जा हासिल करने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना जरूरी होता है; जैसे- इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कुल 100 में 60 अंक प्राप्त करने होते हैं। ये अंक छह मानकों द्वारा निर्धारित होते हैं–

(i) कुल परिसम्पत्ति की तुलना में विशुद्ध लाभ।
(ii) कुल उत्पादन लागत व सेवा लागत की तुलना में कुल श्रमशक्ति लागत।
(iii) पूंजी-नियोज्य की तुलना में मूल्यह्रास से पूर्व लाभ ब्याज व कर।
(iv) टर्नओवर की तुलना में मूल्यह्रास से पूर्व लाभ ब्याज व कर।
(v) प्रति शेयर अर्जन।
(vi) अंतर्क्षेत्रक प्रदर्शन।

- वर्तमान में 17 सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। ये हैं–

1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL)
2. महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)
3. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAIL)
4. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
5. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO)
6. भारतीय नौवहन निगम (SCI)
7. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL)
8. भारत इलेक्ट्रॉनिक लि. (BEL)
9. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन निगम लि. (PGCIL)
10. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (REC)
11. पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PEC)
12. निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC)
13. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL)
14. इंडियन ऑयल लिमिटेड (IOL)
15. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. (NBCCL)
16. इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (EIL)
17. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR)

मिनीरत्न कंपनियां

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) के लिए महारत्न, नवरत्न के अलावा मिनीरत्न की श्रेणी को बनाया गया है। इसे 1997 में शुरू किया गया था। ये दो रूपों में होती हैं–

(i) मिनीरत्न I
(ii) मिनीरत्न II

- **मिनीरत्न I :** इसके लिए भारत सरकार ने कुछ मानक तैयार किए हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियाँ जो लगातार 3 वर्षों से या तो लाभ में रही हों या ₹30 करोड़ का कुल लाभ हुआ हो या प्रत्येक वर्ष इससे अधिक का लाभ प्राप्त हुआ हो।
- मिनीरत्न कम्पनियाँ ₹500 करोड़ तक की धनराशि को या अपनी निवल सम्पत्ति (Net Worth), जो की कम हो, के बराबर बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकती हैं। वर्तमान में इसमें 57 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।
- **मिनी रत्न II :** इसके लिए भी कुछ मानक बनाए गए हैं।
- ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो विगत् 3 वर्षों से लगातार लाभ की स्थिति में हों और इन्हें अपनी कुल निवल पूँजी का 50 प्रतिशत या 300 करोड़ रुपए की बिना सरकारी स्वीकृति के निवेश की अनुमति प्राप्त होती है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 16 मिनीरत्न II कंपनियां हैं।

भारत के प्रमुख उद्योग (Important Industries in India)

- लौह एवं इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)
- सीमेन्ट उद्योग (Cement Industry)
- कोयला उद्योग (Coal Industry)
- पेट्रोलियम उद्योग (Petroleum Industry)
- कपड़ा उद्योग (Cloth Industry)
- रत्न एवं आभूषण उद्योग (Gems and Jewellery Industry)
- चीनी उद्योग (Sugar Industry)

भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम और उनका स्थान :

- **राउरकेला इस्पात संयंत्र :** इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी।
- **भिलाई लौह-इस्पात संयंत्र :** इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी।
- **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र :** इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी।
- **बोकारो लौह-इस्पात कारखाना :** इसकी स्थापना झारखण्ड में रूस की सहायता से की गई थी।
- **विजयनगर इस्पात उद्योग :** कर्नाटक में बेलारी जिले में।
- **विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग :** आंध्रप्रदेश में।
- **संलयन इस्पात उद्योग संयंत्र :** तमिलनाडु में।
- **दातेरी इस्पात उद्योग :** उड़ीसा में।

भारत के प्रमुख एल्युमीनियम संयंत्र

संयंत्र	केन्द्र	स्थापना
इण्डाल्को	जे. के. नगर, आसनसोल (प. बंगाल)	1937
इण्डाल (INDAL)	मुरी (निर्माण); अलवाय, हीराकूद, बेलगाम (प्रगलन इकाई); बेलूर (चादर बनाने का कार्य)।	1938
हिण्डाल्को	रेनुकूट (उत्तर प्रदेश)	1958

माल्को	मेटूर (सलेम-तमिलनाडु)	1965
बाल्को	कोरबा (छत्तीसगढ़)	-
नाल्को	दामनजोड़ी अंगुल	1981

- **सीमेंट उद्योग** प्रमुख अवसंरचना उद्योग है। इसका प्रारंभ 1824 में इंग्लैण्ड के पोर्टलैण्ड में हुआ था।
- भारत में सीमेण्ट का प्रथम संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। वर्ष 1989 से सीमेंट से वितरण संबंधी प्रतिबंधों को हटा लिया गया तथा औद्योगिक (विकास तथा नियमन) कानून 1951 के तहत् इसे लाइसेंस से 1991 में छूट दे दी गयी।
- तमिलनाडु में तिरूपुर के एट्टीवरम्पलायम गांव में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्द्धन के लिए एक **वस्त्र पार्क** (Apparel Park) की स्थापना की गयी है। 300 करोड़ रुपए की लागत वाले देश के इस पहले वस्त्र पार्क का शिलान्यास तत्कालीन कपड़ा मंत्री (केन्द्रीय) द्वारा किया गया था (4 जुलाई, 2003)। साथ ही इस गांव का नया नामकरण न्यू तिरूपुर किया गया।
- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया।
- भारत का वस्त्र उद्योग 4.5 कोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा उत्तरप्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है।
- मुम्बई, देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केन्द्र है। इसे **'सूतीवस्त्र, की राजधानी', कॉटनोपोलिस** एवं **मानचेस्टर** की उपमा प्रदान की गयी है।
- गुजरात का अहमदाबाद राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केन्द्र है। इसे **'पूर्व का बोस्टन'** की संज्ञा दी गयी है।
- तमिलनाडु का कोयम्बटूर सूती वस्त्र का प्रमुख केन्द्र है। इसे **'दक्षिण भारत का मानचेस्टर'** कहा जाता है। उत्तरप्रदेश के कानपुर को **'उत्तर भारत का मानचेस्टर'** कहा जाता है।

इन्वेस्ट इंडिया

- निवेश संवर्द्धन प्रयासों को सुदृढ़ करने और विदेशी निवेशकों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमियों तथा परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों को संगठित रूप से तात्कालिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 'इन्वेस्ट इंडिया' प्रारंभ किया है।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीआईपीपी तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है।
- 'इन्वेस्ट इंडिया' भारत में व्यापार करने के सभी पहलुओं से संबद्ध जानकारी प्राप्त करने, नीति एवं नियामक मुद्दों के बारे में निवेशकों का मार्गदर्शन करने, भारत के लिए संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए प्रथम संदर्भ बिन्दु के रूप में काम करता है। यह निवेशकों को त्वरित सेवा प्रदान करता है।

मेक इन इंडिया

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य है– निवेश को बढ़ावा देना, कौशल विकास का संवर्द्धन, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण तथा बेहतरीन विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण।
- 25 क्षेत्रों से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल पर एफडीआई नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, औद्योगिक सम्पदा अधिकार, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा तथा अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के विवरण के साथ दी गयी है।
- निवेशकों को मार्गदर्शन, उनकी सहायता करने के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' में एक निवेशक सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।

डिजिटल इंडिया

- इस स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 जुलाई, 2015 को एक अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना के रूप में की गयी। इसका उद्देश्य **भारतीय अर्थव्यवस्था की डिजिटल दृष्टि से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) में रूपांतरित करना है।**
- इसके तहत् सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराकर, इंटरनेट से जोड़ना है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जीवन के प्रत्येक भाग में सभी जगह फैलाया जा सके।
- इसके अंतर्गत सभी बैंकों से लोन प्राप्त होगा, लोन के लिए कोई जमानत नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी तथा कम ब्याज दर के साथ भुगतान की उचित अवधि होगी।

- इस कार्यक्रम के तहत् रूपे डेबिट कार्ड निर्गत होगा जो सामान्य डेबिट कार्डों की तरह प्रयुक्त किया जा सकेगा।

ई-बिज परियोजना

- इस परियोजना के तहत् 'सरकार से व्यवसाय की ओर' (गवर्नमेंट टू बिजनेस 'जी 2 बी') पोर्टल स्थापित किया गया है जो निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेगा तथा व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं को व्यवसाय के सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान आरंभ से अंत तक पूरा करेगा।

कौशल विकास

- कौशल और उद्यमशील कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता का नया मंत्रालय स्थापित करने के पश्चात् विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों में कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य मापदण्ड तय करने का कार्य किया जा रहा है।

स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना

- 6 जनवरी, 2016 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना को मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमी वर्ग के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा न्यूनतम दो परियोजनाओं को सरल बनाना है।
- योजना से 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। कम-से-कम 2.5 लाख मंजूरी का यह लक्ष्य योजना के शुरू होने के 36 माह के भीतर प्राप्त करना तय किया गया है। स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं–
- ₹10,000 करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनर्वित्त खिड़की (रिफाइनेन्स विण्डो)।
- यह राष्ट्रीय क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कम्पनी (एनसीजीटीसी) के जरिए क्रेडिट गारण्टी तन्त्र बनाएगा।
- यह उधारकर्ताओं को ऋण पूर्ण चरण और संचालन दोनों ही के दौरान समर्थन मुहैया कराएगा।
- इसका उद्देश्य एससी/एसटी और महिला उधारकर्ताओं को समर्थन देना है।
- इसका उद्देश्य 7 वर्ष तक बैंक का कर्ज चुकाने की सुविधा के साथ आबादी के पिछड़ों तक संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुँचाना और एससी, एसटी और महिला उधारकर्ताओं द्वारा गैरकृषि क्षेत्र वाले सेटअप में ग्रीनफील्ड एण्टरप्राइजेज के लिए ₹10 लाख से ₹100 लाख के बीच की धनराशि उपलब्ध कराना है।

स्टार्ट-अप इण्डिया अभियान

- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में स्टार्ट-अप इण्डिया अभियान का शुभारम्भ किया। इस दौरान देश में नए उद्योगों (स्टार्ट-अप) को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। स्टार्ट-अप कार्ययोजना की मुख्य बातें निम्न हैं–
- स्टार्ट-अप को वित्त-पोषण के लिए एक ₹10,000 करोड़ का स्टार्ट-अप फण्ड बनाया जाएगा।
- स्टार्ट-अप को पहले तीन वर्ष तक लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- सरकार स्टार्ट-अप के लिए एक सरल निकासी नीति पर काम कर रही है।
- सरकार स्टार्ट-अप पेटेण्ट आवेदनों की फास्ट-ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम तैयार करेगी।
- इन कारोबारों के लिए पेटेण्ट शुल्क में 80% तक छूट प्रदान की जाएगी।
- स्टार्ट-अप के लिए 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के लिए एक स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था पेश की जाएगी।
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 'अटल इनोवेशन मिशन' प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट

- बजट सामान्यत: सरकारी विवरण या दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकार की गत वर्ष की आय-व्यय की स्थिति, चालू वर्ष में सरकारी आय-व्यय के संशोधित आकलन तथा आगामी वर्ष के आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम एवं आय-व्यय घटाने-बढ़ाने के लिये प्रस्तावों का विवरण दिया जाता है। बजट में वर्तमान और प्रस्तावित कर ढांचे के आधार पर आगे वर्षभर के संभावित व्ययों एवं विभिन्न मदों के अंतर्गत होने वाली आय का विवरण दिया जाता है। बजटीय दस्तावेज को सरकार की नीतियों का प्रतिबिम्ब माना जाता है।
- भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में

वित्तीय कथन का उल्लेख है, जिसे सामान्यत: बजट समझा जाता है। संविधान के अनुच्छेद-112 में प्रावधानित है कि सरकार प्रत्येक वर्ष आय-व्यय का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किस मद पर कितना व्यय करेगी तथा इस व्यय को पूरा करने के लिये आय कहाँ से प्राप्त करेगी।

बजट के प्रकार

- बजट के निम्नलिखित प्रकार हैं–

पारंपरिक बजट

- भारत के प्रारंभिक काल के बजट को ही पारंपरिक बजट कहते हैं। इस प्रकार के बजट में मुख्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है। इसके अनुसार बजट में मुख्यत: वेतन, मजदूरी, यात्रा मशीनें तथा उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों में होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता रहा है।
- इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था, किन्तु इस व्यय के खर्च से क्या-क्या परिणाम प्राप्त करने हैं, उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता है।

निष्पादन बजट

- कार्य के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट को निष्पादन बजट या कार्यपूर्ति बजट कहा जाता है। वह सरकारी प्रचलन के कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाओं तथा परियोजनाओं को पेश करने की एक कार्यविधि है जो मूलत: लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्य परक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें केवल संगठनात्मक आय-व्यय का हिसाब ही नहीं, बल्कि प्राप्त हुए निष्कर्षों का कार्य निष्पादन को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है।
- इस प्रकार का बजट, सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिम्बित करती है। भारत में निष्पादन बजट को वर्ष 1968 से इस्तेमाल किया जाता है।

आउट कम बजट

- जब किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके, ऐसे बजट को आउटकम बजट कहते हैं।
- भारत में इस प्रकार के बजट की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम् द्वारा 25 अगस्त, 2005 को की गई थी।

शून्य आधारित बजट

- इस प्रकार के बजट की अवधारणा पीटर मायक ने दी थी।
- वस्तुत: बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नूतन मद (शून्य) मानते हुए उसका नये सिरे से मूल्यांकन करना ही शून्य प्रणाली बजट कहलाता है।
- बजट की यह प्रणाली व्यय किये जाने वाले प्रत्येक मद के औचित्य पर बल देती है और किसी भी क्रिया के लिए कोई आधार या न्यूनतम व्यय स्वीकार नहीं करती अर्थात् इसमें बजट के बिना किसी आधार के नये सिरे से निर्मित किया जाता है। भारत में इस प्रकार के बजट की शुरुआत वर्ष 1986-87 में तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी।

विनियोग बजट

- विनियोग या व्यय बजट से आशय उस बजट से है, जिसका प्रयोग सरकार द्वारा सरकारी विभागों एवं सेवाओं के लिए किया जाता है। ऐसे मदों पर व्यय जिसमें व्यय पश्चात् पुन: पूँजीगत प्राप्तियाँ नहीं होती हैं अर्थात् इस मद पर व्यय की गयी पूँजी से पूँजी निर्माण नहीं होता है।

पूँजी बजट

- पूँजी बजट में पूँजीगत प्राप्तियों एवं पूँजीगत भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। पूँजीगत खाता प्राप्तियों में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधार, विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त ऋण, राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की वापसी एवं केंद्र सरकार को दिये गये ऋण की वापसी आदि को सम्मिलत किया जाता है।

जेण्डर बजट

- बजट का वह रूप जेण्डर बजट कहलाता है, जब बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिये अलग से बजटीय प्रावधान किया गया होता है। सामान्यत: बजट में महिलाओं के लिये जब अलग से विशेष बजटीय रणनीति सृजित की जाती है तो इसे जेण्डर बजट कहा जाता है।

- जेण्डर बजट के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास कल्याण तथा सशक्तीकरण से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है।

घाटे का वित्तीय बजट

- एक संतुलित बजट में अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय समान होते हैं। घाटे वाला बजट वह है जिसमें अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से कम रह जाता है अर्थात् कर ही राशि व्यय से कम होती है। अत: घाटे का बजट अवस्फीति से ग्रस्त अर्थव्यवस्था की मांग के अभाव के कारण पैदा हुई अपूर्ण रोजगार संतुलन की समस्या से निपटने की एक अच्छी नीति होती है।

घाटे के प्रकार

- भारत में घाटे के निम्नलिखित प्रकार हैं–

बजटीय घाटा

- बजटीय घाटा किसी भी सरकार के समग्र बजटीय व्यय और बजटीय प्राप्तियों के अंतर को व्यक्त करता है। जब सरकार की बजटीय प्राप्तियां, बजटीय व्यय से कम होती हैं तो यह स्थिति बजटीय घाटे की होती है। बजटीय घाटा होने पर सरकार इसकी पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी नकदी की निकासी के द्वारा या एडहॉक टेजरी बिल के माध्यम से करती थी।
- 1997-98 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच अर्थोपाय अग्रिम समझौता हुआ, जिसके माध्यम से एडहॉक ट्रेजरी बिल की अवधारणा समाप्त की गई। 1998-99 से सरकार द्वारा इस प्रकार के घाटे का आकलन करना बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में घाटे कि वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए उपयोग की जाती है।

राजस्व घाटा

- राजस्व घाटा; वस्तुत: किसी भी सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अंतर को व्यक्त करता है। जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा यह प्रदर्शित करता है कि सरकार को अपने चालू उपभोग व्ययों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा किसी भी सरकार समग्र घाटा होता है, जो वस्तुत: सरकार की समग्र वित्तीय आय संबंधी क्रियाकलापों तथा समग्र व्यय संबंधी क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। राजकोषीय घाटा यह प्रदर्शित करता है कि सरकार के वित्तीय व्यवहारों का परिणाम कैसा है। अर्थव्यवस्था में सरकार की वित्तीय गतिविधियों के फलस्वरूप अतिरेक का सृजन हुआ है या नहीं। राजकोषीय घाटे की अवधारणा का प्रतिपादन 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने किया। राजकोषीय घाटा किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को व्यक्त करता है।

प्राथमिक घाटा

- राजकोषीय घाटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि बजटरी व्यवहार (बजेटरी आय तथा बजेटरी व्यय) से उत्पन्न घाटा कितना है। यह इस बात पर प्रकाश नहीं डालता है कि घाटे का कितना भाग चालू बजेटरी व्यवहार के कारण है।

मौद्रीकृत घाटा

- घाटे की वह राशि जिसकी वित्तीय व्यवस्था नोट निर्गमन के द्वारा हो, उसे मौद्रीकरण कहते हैं और उस घाटे को मौद्रिक घाटा कहते हैं।

वैदेशिक क्षेत्र

- विदेश व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं एवं वित्तीय संसाधनों का अन्तर्देशीय प्रवाह शामिल होता है। विदेश व्यापार द्वारा विदेशी पूँजी तथा विशेषज्ञों की सहायता से देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता है।
- भारत के विश्व के भौगोलिक प्रदेशों और बड़े व्यापारिक समूहों के साथ व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्ववर्ती सोवियत संघ (रूस) और बाल्टिक राज्य, एशिया, ओसीनिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका आते हैं। 1950-51 में भारत का कुल विदेश व्यापार (आयात एवं निर्यात) ₹1214 करोड़ था। तब से, यह समय-समय पर मंदी के साथ लगातार वृद्धि करने का साक्षी है।
- व्यापार संगठन का दो श्रेणियों के तहत् अध्ययन किया जा सकता है : आयात और निर्यात।

(हालांकि तकनीकी रूप से, व्यापार में सेवाओं और वित्तीय संसाधनों को शामिल किया जाता है, भारत में व्यापार से संबंधित आंकड़ों में सामान्यत: केवल वस्तुओं पर सूचना शामिल होती है)।

आयात

- आयात को अम्बारी आयात (Bulk Imports) और गैर-अम्बारी आयात (Non bulk Imports) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- अम्बारी आयात मदों में शामिल हैं–

1. पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट (पीओएल)।
2. नॉन-पीओएल जैसी उपभोग वस्तुएं (खाद्य तेल, चीनी इत्यादि), उर्वरक और लौह एवं इस्पात।

- गैर-अम्बारी आयात मदों में शामिल हैं–

1. पूंजी वस्तुएं जिनमें धातुएं, मशीनी औजार, इलेक्ट्रिक एवं गैर-इलेक्ट्रिक मशीनरी।
2. मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य पत्थर।
3. अन्य।

निर्यात

- भारत के निर्यात मोटे तौर पर चार वर्गों में विभक्त किये जाते हैं–

1. कृषि और सम्बन्धित उत्पाद जिसमें कॉफी, चाय, खल (oil Cakes), तम्बाकू, काजू, गरम मसाले, चीनी कच्ची रुई, चावल, मछली और मछली से बनी वस्तुएं, गोश्त और गोश्त से बनी वस्तुएं, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां और दालें।
2. अयस्कों और खनिजों मे ं मैंगनीज अयस्क, अभ्रक और कच्चा लोहा शामिल किए जाते हैं।
3. निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र और सिले-सिलाए कपड़े, पटसन की बनी वस्तुएं, चमड़ा और जूते, हैंडीक्राफ्ट्स, हैण्डलूम, कुटीर एवं क्राफ्ट वस्तुएं, मोटी और बहुमूल्य पत्थर, रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुएं तथा लौह एवं इस्पात शामिल किए जाते हैं।
4. खनिज, ईंधन और लुब्रिकेन्ट्स।

- भारत ने धीरे-धीरे स्वतंत्रता पूर्व मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पाद निर्यात करने वाले देश से वर्तमान में निर्मित उत्पादों के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित किया है। अर्थव्यवस्था में हुए विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए, निर्यात की जाने वाली मदों में परम्परागत से गैर-परम्परागत मदों की ओर परिवर्तन हुआ।
- भारत के व्यापार भागीदार देशों को प्रमुख तौर पर पांच भागों में बांटा जा सकता है–

1. **आर्थिक विकास सहयोग संगठन :** इसमें यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, कनाडा, जापान, इत्यादि शामिल हैं।
2. **तेल निर्यातक देशों का संगठन :** इसमें इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब इत्यादि शामिल हैं।
3. **पूर्वी यूरोप :** इसमें रूस प्रमुख राष्ट्र है।
4. **विकासशील राष्ट्र :** इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबिया के विकासशील राष्ट्र शामिल हैं।
5. पांचवां समूह अन्य राष्ट्रों का है।

भुगतान सन्तुलन (BOP)

- किसी देश का शेष विश्व के सापेक्ष लेन-देन का कुल अन्तर उसका 'भुगतान सन्तुलन' कहलाता है।
- भुगतान सन्तुलन के दो भाग होते हैं–

(i) चालू खाता (Current Account)
(ii) पूंजी खाता (Capital Account)।

- चालू खाते में सम्बन्धित वर्ष का लेखा-जोखा रखा जाता है, जबकि पूँजी खाता उधार से सम्बन्धित होता है।

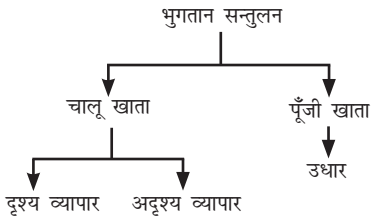

- भुगतान सन्तुलन के चालू खाते में वस्तुओं व सेवाओं के आयात व निर्यात के साथ-साथ स्थानान्तरण भुगतान का विवरण भी होता है।
- व्यापार सन्तुलन का सम्बन्ध केवल दृश्य व्यापार से होता है, जबकि भुगतान सन्तुलन में दृश्य व्यापार के विवरण के साथ-साथ अदृश्य व्यापार, ऋणों तथा परिसम्पतियों के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का विवरण भी शामिल होता है।
- दृश्य खाते में, व्यापार को शामिल किया जाता है, जबकि अदृश्य खाते में बीमा, जहाज किराये व पर्यटन को शामिल किया जाता है।
- केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत संचित निधि की गारण्टी पर विश्व के दूसरे देश से उधार प्राप्त कर सकती है तथा अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें देश के भीतर से ही ऋण ले सकती हैं।

ऋण दो प्रकार के होते हैं–

(i) **दीर्घावधि ऋण** (Long Term Loan) – दीर्घावधि ऋण प्रदान करने वाली संस्था को 'कैपिटल मार्केट' कहते हैं। ये 35 वर्ष तक के भी होते हैं।

(ii) **अल्पावधि ऋण** (Short Term Loan) – अल्पावधि ऋण प्रदान करने वाली संस्था को 'मुद्रा बाजार' कहते हैं। यह ऋण 1 वर्ष की कम अवधि तक के लिए होते हैं।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 2015-20)

- केन्द्र सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) घोषित कर दी गई है। इसके नीति के अन्तर्गत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **मेक इन इण्डिया** तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–
- इस नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन करने और **मेक इन इंडिया** विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्य वर्द्धन को नई गति प्रदान करने की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है।
- विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- **कारोबार करने को और आसान बनाने (Ease of doing business)** पर विशेष जोर दिया गया है।
- पहले से लागू कई योजनाओं के स्थान पर दो नई योजनाओं – **भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)** की शुरुआत की गई है।
- एमईआईएस का उद्देश्य विशेष बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना है, जबकि एसईआईएस का उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है।
- इसके तहत् पात्रता और उपयोग के लिए अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं।
- इन योजनाओं के तहत् जारी की जाने वाली किसी भी स्क्रिप (पावती-पत्र) के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी की जाने वाली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप और इन स्क्रिप के एवज में आयात की जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से हस्तांतरण योग्य है।
- एमईआईएस के तहत् पुरस्कार देने के लिए देशों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। एमईआईएस के तहत् पुरस्कार की दरें 2 से लेकर 5 प्रतिशत तक हैं।
- एसईआईएस के तहत् चुनिंदा सेवाओं को 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से पुरस्कृत किया जाएगा।
- **निर्यात संवर्धक पूंजीगत वस्तुओं** (एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स-ईपीसीजी) योजना के तहत् स्वदेशी निर्माताओं से ही पूंजीगत सामान खरीदने के उपाय किए गए हैं।
- इसके तहत् विशेष निर्यात प्रतिबद्धता को घटाकर सामान्य निर्यात प्रतिबद्धता के 75 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया गया है।
- इससे घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय एवं वैश्विक दोनों ही तरह की करने में मदद मिलेगी।
- रक्षा एवं हाई-टेक उत्पादों के निर्यात को नई गति प्रदान करने के भी उपाए किए गए हैं।
- हथकरघा उत्पादों एवं किताबों, चमड़े के जूते-चप्पल और खिलौनों के ई-कॉमर्स निर्यात को भी एमईआईएस का लाभ (25 हजार रुपये तक के मूल्य) मिलेगा।
- नई विदेश व्यापार नीति में 'व्यापार को सुविधाजनक बनाने' एवं 'कारोबार करने में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने' पर भी विशेष जोर दिया जायेगा।
- निर्माण क्षेत्र एवं रोजगार सृजन में छोटे एवं मझोले उपक्रमों की विशेष अहमियत को ध्यान में रखते हुए 'एमएसएमई क्लस्टर' 108 की पहचान की गई है, ताकि निर्यात को नई गति प्रदान की जा सके।
- एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए **ब्रांडिंग कैंपेन** शुरू होगा। नए उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रम आधारित उद्योगों से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। मूल्य वर्धित, कृषि उत्पाद, कमोडिटी, हाई-टेक प्रोडक्ट, इको-फ्रेंडली और ग्रीन प्रोडक्ट (पर्यावरण अनुकूल उत्पाद) पर जोर देने के साथ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट के निर्यात पर जोर होगा।
- राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ ताल-मेल बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए 21 विभागों को नामित किया गया है, जो निर्यात संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। नई नीति में **बोर्ड ऑफ ट्रेड** को बरकरार रखा गया है।
- भारत द्वारा निर्यात हेतु मुख्य देश **संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, चीन** तथा **सिंगापुर** हैं।
- भारत द्वारा आयात हेतु मुख्य देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा स्विट्जरलैण्ड हैं।

प्रमुख देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपये में)					
क्रमांक	देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार शेष
1.	चीन	68,246.12	411,093.52	479,339.64	-342,847.40
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	283,008.01	147,655.40	432,663.40	133,352.61
3.	संयुक्त अरब अमीरात	208,939.49	144,237.12	353,176.61	64,702.37
4.	सऊदी अरब	34,253.90	133,945.75	168,199.65	-99,691.85
5.	हांगकांग	94,114.93	54,906.18	149,021.11	39,208.75

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

विश्व बैंक

- विश्व बैंक की स्थापना **ब्रेटन बुड्स समझौते** के आधार पर सन् 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य था-द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों की सहायता करना।
- 25 जून, 1946 से विश्व बैंक मे कार्य करना प्रारंभ किया। इसके मुख्यालय को वाशिंगटन डी.सी. (यू. ए. ए.) में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है।
- इसमें पाँच संस्थाओं का समावेश किया गया है–

(i) पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक
(ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद्
(iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
(iv) बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेंसी
(v) निवेश विवाद के निपटारे हेतु इंटरनेशनल सेंटर

पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक

- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. (U.S.A) में है। यह मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। यह गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास हेतु मुख्यतः कार्यरत है। इसकी स्थापना सन् 1944 में की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद्

- इसकी स्थापना 24 सितंबर, 1960 को की गई थी, विश्व बैंक के अंतर्गत विकासशील देशों को इसके द्वारा लम्बी अवधि के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

- इसकी स्थापना सन् 1956 में की गई थी। सन् 1961 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण बना। इसका कार्य है विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को पूंजी उपलब्ध कराना।
- यह संस्थान 7 से 12 वर्षों में परिपक्व होने वाले लम्बी अवधि के ऋण तथा जोखिम पूंजी, व्यापारिक दर पर निजी उपक्रम को उत्पादक निवेश के लिए देता है।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी

- इसकी स्थापना सन् 1988 में की गई थी। यह गैर-व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करके समतावदी निवेश तथा अन्य प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देता है।
- यह एजेंसी अपने सदस्य देश को ही सहायता प्रदान करती है। भारत भी इसका सदस्य है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए इसके समझौते पर 13 अप्रैल, 1992 को हस्ताक्षर किया।

निवेश विवाद के निपटारे हेतु इंटरनेशनल सेंटर

- इसकी स्थापना सन् 1966 में हुई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य है - राज्यों तथा अन्य राज्यों के नागरिकों के निवेश से संबंधित विवादों को सुलझाना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- इसकी स्थापना जुलाई, 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में हुए समझौते (ब्रेटन वुड्स) के अनुसार हुई थी।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। इसके प्रबंधन तथा नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक-एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्यों की समीक्षा तथा भविष्य के लिए नीतियों के निर्माण हेतु बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जाती है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है।

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुछ राष्ट्रों का कोटा	
देश	**कोटा (%)**
यू. एस. ए.	17.69
जापान	6.56
चीन	6.49
जर्मनी	5.67
फ्रांस	4.29
यू. के	4.29
इटली	3.21
भारत	2.79
रूस	2.75
ब्राजील	2.35
कनाडा	2.35

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- 1 जनवरी, 1995 को WTO का अस्तित्व आया। इसके पूर्व इसके स्थान पर गैट था जो 31 दिसंबर 1994 को अस्तित्वविहीन हो गया।
- इसका मुख्यालय **जेनेवा** में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसके अंतर्गत किए गए समझौते वस्तु, सेवा एवं बौद्धिक संपदा से संबंधित है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

- इसकी स्थापना 14 दिसंबर, 1961 को फ्रांस (पेरिस) में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बर्बाद हुए यूरोप के देशों को पुनः स्थापित करने हेतु वर्ष 1948 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित योजना के आधार पर इसका गठन किया गया।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF)

- काले धन को वैध बनाने के संबंध में बढ़ती परेशानियों के निराकरण हेतु एवं आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने हेतु इसका गठन पेरिस में वर्ष 1989 में किया गया।
- इसका सचिवालय **पेरिस** में स्थित है। इसमें 35 न्याय अधिकरण सदस्य तथा 2 क्षेत्रीय सदस्य हैं।
- भारत वर्ष 2010 में इसका 34 वाँ सदस्य बना। इसके सदस्य बनने से भारत को काले धन तथा आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सहायता मिलेगी।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी।
- यह एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में अपने सदस्य देशों के आर्थिक-सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इसकी 46 वीं बैठक मई 2013 में ग्रेटर नोएडा में हुई थी, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 6 अरब डॉलर का ऋण भारत को देना प्रस्तावित हुआ था।

ब्रिक्स

- ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन ने मिलकर ब्रिक (BRIC) नाम के संगठन की स्थापना वर्ष 2009 में की थी।
- अप्रैल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया इसके बाद इसका नाम BRICS हो गया।
- BRICS का प्रमुख कार्य है - वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- BRICS का छठा शिखर सम्मेलन ब्राजील (2014 ई.) में हुआ था जिसमें **फोर्टलेजा घोषणा पत्र** जारी किया गया तथा ब्रिक्स विकास बैंक के गठन को मंजूरी मिली।
- इसे R-5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पाँचों सदस्य देशों की मुद्रा 'R' से शुरू होती है।
- 100 अरब डॉलर की पूंजी वाले इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है तथा इसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया।
- BRICS का 7 वाँ शिखर सम्मेलन 8-9 जुलाई 2014 को रूस के उफा शहर में हुआ। इस सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुभारंभ हुआ।
- 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रथम अध्यक्ष के.वी. कामथ (भारत) होंगे।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

- सार्क की स्थापना वर्ष **1985** में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार हैं - **भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान** तथा **नेपाल**।
- इसका मुख्यालय **काठमांडू** (नेपाल) में है।
- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है - दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि करना, वैज्ञानिक तकनीक का आदान-प्रदान करना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा करना।
- वर्ष 1958 में भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए विश्व बैंक द्वारा ऐड इंडिया क्लब कांसोर्टियम की स्थापना की गई।

- भारत-पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद सुलझाने में विश्व बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- भारत का वित्तमंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है।
- अब IMF से कर्ज लेने वाले देश के बदले भारत IMF का वित्त पोषक बन चुका है।

साप्टा (SAPTA)

- सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में प्रशुल्क से संबंधित बाधाओं को दूर करने तथा रियायती शुल्क-प्रशुल्कों पर व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौते की शुरुआत की गई।

साफ्टा (SAFTA)

- यह 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ। इस समझौते में कुल 24 अनुच्छेद हैं, जिनमें अनुच्छेद 3, 7, 10, 16 तथा 21 बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य मुक्त व्यापार की कठिनाइयों को दूर करना हैं।
- यह स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हेतु प्रोत्साहित करता है।
- इस समझौते के तहत् नेपाल, भूटान, बांग्लादेश मालदीव जैसे अल्प विकसित देशों को शुल्क दरों में विशेष रियायत दी जाएगी

आसियान (ASEAN)

- आसियान (ASEAN - Association of South East Asian Nations) दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत हुई थी। प्रारम्भ में संगठन के 5 सदस्य देश थे - **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर** तथा **थाईलैंड**।
- ब्रुनेई वर्ष 1984 में, वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस तथा म्यांमार वर्ष 1997 में और कंबोडिया वर्ष 1999 में आसियान के सदस्य देश बने। इस समय आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
- आसियान, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग तथा सामाजिक सांस्कृतिक संघ का एक समुदाय है, जिसके तीन मुख्य स्तंभ हैं - आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय तथा 'आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय'।
- वर्ष 1994 में, आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम (एशियन रीजनल फोरम) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। **अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान** और **उत्तरी कोरिया** सहित 23 सदस्य हैं।

यूरोपीय संघ (E.U.)

- इसकी स्थापना सन् 1957 में रोम की संधि के तहत फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग औन नीदरलैण्ड्स आदि देशों ने मिलकर की। वर्तमान में यूरोपीय संघ के 28 सदस्य हैं।
- यूरोपीय समुदाय ने कोयला तथा इस्पात हेतु संधि की थी, जिसका अनुमोदन 1952 ई. में इसके संस्थापक राष्ट्रों ने की थी।
- यूरोपीय समुदाय का प्रमुख उद्देश्य सदस्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम के निर्मुक्त आवागमन में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करना था। इसके साथ-साथ कृषि और परिवहन के क्षेत्र में उपयोगी नीतियों का निर्माण करना है।

एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक

- यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जो पूरे एशिया में चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
- इसके द्वारा बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार हेतु प्रयास किया गया।
- जून 2015 में इसके गठन हेतु समझौता किया गया जिसमें भारत सहित 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए।
- इसका मुख्य उद्देश्य बिना भेदभाव के सदस्य राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध कराना है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- इसमें भारत की भागीदारी 8.52% तथा मताधिकार 7.5% तय किया गया है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 30% तय की गई है, तथा मताधिकार 26.06% तय किया गया है।
- सदस्य देशों की संख्या 80 है (57 सदस्य + 23 गवर्निंग सदस्य)।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली

- **एडवांस -डिक्लाइन** (Advance- Decline) : यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही एडवांस-डिक्लाइन कहलाता है।

- **अग्रिम कर** (Advance Tax) : अग्रिम कर, अर्जित आय के आधार पर देय सिद्धान्त पर आधारित है। अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितम्बर एवं दिसम्बर में देय होता है, ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्तियों से अवगत हो सकें।
- **एयर पॉकेट** (Air Pocket) : शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति का होना सामान्य बात है। यह कई कारणों से घटित होता हैं। यदि किसी कंपनी के विषय में कोई प्रतिकूल सूचना आती है तो शेयरों के भाव गिर जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि पहले दिन के बंद भाव और दूसरे दिन के खुलने वाले भाव से काफी अंतर होता है तो वह स्थिति एयर पॉकेट की होती है।
- **आर्बिट्रेज** (Arbitrage) : इस शब्द का प्रयोग सामान्यत: विदेशी विनिमय के सन्दर्भ में किया जाता है। स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजारों में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरन्त ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊँचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को 'आर्बिट्रेज' कहा जाता हैं।
- **एन्युटी** (Annuity) : किसी पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान 'एन्युटी' कहलाता है। जैसे-सरकारी ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान 'एन्युटी' के रूप में हो सकता है।
- **एड -वेलोरम (Ad-Valorem)** : वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उनकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्यानुसार लगाए जाते हैं, 'एड-वेलोरम' कहलाते हैं।
- **काला धन (Black Money)** : जिस धन का हिसाब-किताब कर अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, उसे काला धन कहते हैं। काले धन की समान्तर, अर्थव्यवस्था वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए द्योतक होता है। यह अर्थव्यवस्था वस्तुत: अवैधानिक ढंग से अर्जित किये गये धन पर टिकी होती है, जिसमें धन पूर्णत: अघोषित होता है। यह वास्तविक अर्थव्यवस्था में अनेक तरह के विकार तथा असंतुलन पैदा कर देती है, जिससे देश के आर्थिक ढांचे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- **बफर स्टॉक (Buffer Stock)** : आयात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।
- **प्रशासित मूल्य** (Administered Prices) : जब किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार की माँग व पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियॉ द्वारा न होकर किसी केन्द्रीय शक्ति द्वारा होता है, तो इस प्रकार का मूल्य प्रशासित मूल्य कहलाता है। किसी सकाधिकारी फर्म द्वारा एकपक्षीय तरीके से निर्धारित मूल्य या सरकार द्वारा किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य आदि प्रशासित मूल्य के उदाहरण हैं।
- **बूम** (Boom) : अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है, जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। यह मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **काला बाजार** (Black Market) : जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने को काला बाजार कहते हैं।
- **बिटक्वाइन** (Bitcoins) : यह जान पहचान वाले और समान समूह के लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है। यह एक ई-मुद्रा (डिजिटल मुद्रा) अर्थात् 'ओपन सोर्स' प्रोडक्ट है। इसे विकसित करने का श्रेय सातोशी नाकोमातो को है। इसे क्रिप्टोकरेंसी भी कहा जाता है। दुनिया की इस सुप्रसिद्ध वर्चुअल या ऑनलाइन करेंसी विटक्वाइन की तर्ज पर इंडियन वर्चुअल या डिजिटल करेंसी 'लक्ष्मीकॉयन' को बाजार में पेश किये जाने की योजना है।
- **रेपो रेट**- रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले तमाम तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। मसलन, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि।
- **रिवर्स रेपो रेट**- यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है।
- **एमएसएफ (मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटीज)** - आरबीआई ने पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में सालाना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एमएसएफ का जिक्र किया था। यह कॉन्सेप्ट 9 मई, 2011 को लागू हुआ। इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक

एक रात के लिए अपने कुल जमा का 1 फीसदी तक लोन ले सकते हैं। बैंकों को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर सभी वर्किंग डे में मिलती है।

- **वित्तीय घाटा** (Fiscal Deficit) : वित्तीय घाटे का आशय उस स्थिति से है, जब सरकार का कुल विनियोग, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। सकल या कुल विनियोग से आशय राजस्व पूँजी, ऋण आदि के रूप में पुनर्देयताओं से एवं इसके विपरीत कुल प्राप्तियों से तात्पर्य पूंजी एवं राजस्व से है। ध्यातव्य है कि उधार ली गई राशि इसमें सम्मिलित नहीं होती है, परन्तु व्यवहार में कुल प्राप्तियों में यह भी समाहित रहता है। वित्तीय घाटा वास्तविक घाटा होता है। 'ध्यातव्य है कि वित्तीय घाटे को राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है।
- **ई-बिजिनेस** (E-Business) : इंटरनेट पर किये जाने वाली बिजनेस को ई-बिजनेस कहा जाता है। जब पारम्परिक सूचना प्रौद्योगिकी निकायों को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाता है तब यह ई-बिजिनेस में परिवर्तित हो जाता है। यह गतिक (Dynamic) तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने वाला (Inter Active) होता है। इसका दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें निजी इंट्रानेट (Intranet), सहभाजी (Intranet) तथा इंटरनेट सम्मिलित होते हैं।
- **स्वर्णमान** (Gold Standard) : जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को 'स्वर्णमान' कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है।
- **ग्रीन बॉक्स** (Green Box) : कृषि के क्षेत्र में दी गई ऐसी अर्थ सहायताएं, जिनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, ग्रीन बॉक्स सहायता कहलाती हैं; जैसे-कृषि अनुसंधान, पादप संरक्षण उपाय आदि। डब्ल्यू.टी ओ. के नियम इन सहायताओं पर अंकुश नहीं लगाते हैं।
- **पूर्ति की लोच** (Elasticity of Supply) : पूर्ति की लोच इस बात की माप है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन किस दर से होता है।

$$\text{पूर्ति की लोच} = \frac{\text{वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन}}{\text{वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन}}$$

- **यूरो स्टार** (Euro-Star) : इंग्लैण्ड और फ्रांस रेलमार्ग से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर चलने वाली रेलयात्री गाड़ी को 'यूरो स्टार' का नाम दिया गया है।
- **फ्लोटिंग ऑफ करेंसी** (Floating of Currency): किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि माँग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके।
- **फ्री पोर्ट** (Free Port) : जिस बंदरगाह पर पुन:निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, उसे 'फ्री पोर्ट' कहते हैं।
- **विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम-फेमा** (Foreign Exchange Management Act-FEMA) : विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के यथोचित विकास के लिए फेमा (FEMA) अधिनियम (1999) 1 जून, 2000 से लागू किया गया है। फेमा के तहत् केन्द्र सरकार व रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह एक-दूसरे से परामर्श करके चालू खाते के लेन-देन पर समुचित प्रतिबंध आरोपित कर सकें। साथ ही पूंजी खाते के तहत् लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा की निकासी की समुचित सीमा निर्धारित कर सकें।
- **उत्पाद शुल्क** (Excise Duty) : उस कर को एक्साइज डयूटी कहते हैं, जो देश के अंदर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिन्दु पर लगाया जाता है।
- **विनिमय दर** (Exchange Rate) : जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है, उसे 'विनिमय दर' कहते हैं।
- **आर्थिक नियोजन** (Economic Planning): आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करके, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है तथा साधनों का आवंटन उसी के अनुसार किया जाता है।
- **फिड्यूसियरी इश्यू** (Fiduciary Issue) : बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा का चलन में ले आना 'फिड्यूसियरी इश्यू' कहलाता है।
- **पूर्ण रोजगार** (Full Employment) : पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से लगाया जाता है जब बेरोजगारों की संख्या रोजगार के लिए उपलब्ध रिक्तियों से कम हो अर्थात् जब रोजगार चाहने वालों की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार अथवा शून्य बेरोजगारी की स्थिति केवल कल्पना की स्थिति है।

- **स्वतंत्र व्यापार** (Free Trade) : स्वतंत्र व्यापार वह नीति है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा देशों के मध्य वस्तुओं के आदान-प्रदान पर कोई रोक नही लगाई जाती है। ध्यातव्य है कि एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के जनक हैं।
- **गिफिन वस्तुएँ** (Giffin Goods) : गिफिन वस्तुएँ कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी माँग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी से माँग भी कम हो जाती है, इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास (Giffin's Paradox) कहा जाता है।
- **कोंस्पीकुअस कन्जम्पशन** (Conspicuous Consumption) : जब किसी अर्द्ध विकसित देश के नागरिक विलासिता की वस्तुओं का अधिकता से उपभोग करने लगते हैं, जो देश की समृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होता है। ऐसे उपभोग को 'कोंस्पीकुअस कन्जम्पशन' कहते हैं। इससे उस देश के साधनों का ह्रास होता है।
- **मिश्रित मांग** (Composite Demand) : जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोग में प्रयोग की जाती है, तो ऐसी वस्तु की कुल माँग उसकी विविध उपयोगों हेतु माँग का योग होती है, यह मिश्रित माँग कहलाती है।
- **ब्रिज लोन** (Bridge Loan) : कम्पनियाँ प्राय: अपनी पूँजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं। कम्पनी को शेयर जारी करके पूँजी जुटाने में तीन माह से भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कम्पनियाँ बैंकों से अन्तरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को 'ब्रिज लोन' कहते हैं।
- **बैड डैट** (Bad Debt) : यह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा सम्भव न हों, उसे Bad Debt की संज्ञा प्रदान की गई।
- **चालू खाता अधिशेष** (Current Account Balance) : किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन-देन के चालू खाते में मुख्य रूप से पण्य व्यापार से सम्बन्धित लेन-देन और अदृश्य लेनदेनों को शामिल किया जाता है। सूत्र रूप में - चालू खाता अधिशेष = व्यापार अधिशेष + विदेशों से निवल साधन आय + विदेशों से निवल एकपक्षीय अंतरण।
- **उपभोक्ता की सार्वभौमिकता** (Consumer Sovereignty) : प्रत्यय जिसमें बाजार में उपभोक्ता राजा होता है और जो अपनी माँग रुचियों और अधिमानों द्वारा यह निश्चित करता है कि क्या उत्पादित किया जाए और किस मात्रा में, लेकिन उपभोक्ता की यह सार्वभौमिकता आय के वर्तमान वितरण और विक्रेताओं द्वारा विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने के अन्य तरीकों द्वारा माँग पर डाले गए प्रभाव के कारण सीमित होती है।
- **ब्लू बॉक्स** (Blue Box) : कृषि समझौते के अन्तर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है; जैसे - बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी को, व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है।
- **व्यापार संतुलन** (Balance of Trade) : किसी देश के समग्र निर्यात और आयात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात की तुलना में अधिक होता है तो उस देश का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल होता है। यदि निर्यात आयात से कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। ध्यातव्य है कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होते हैं।
- **वस्तु विनिमय** (Barier) : मुद्रा के प्रयोग के बिना एक वस्तु की दूसरी से अदला-बदली।
- **शाखा बैंकिंग** (Business process Outsorsing): किसी उद्यमी द्वारा बाहरी स्रोतों (दूसरे देशों के विशेषज्ञ) से कार्य करवाने की प्रक्रिया 'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग' कहलाता है।
- **सीमा** (CEMA) : 'सीमा' गुट अर्थात् आर्थिक अंतर्संबंध सहायता परिषद् की स्थापना तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी यूरोप के नये यूएसएसआर गणराज्यों में आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देना था।
- **विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुण्डी** (Bill of Exchange) : यह एक ऐसा लिखित विपत्र है, जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को यह शर्तरहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति को या उस विपत्र के वाहक को भुगतान कर दे। विनिमय हुण्डी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है अर्थात् इसका भुगतान केवल मुद्रक के रूप में ही होता है, किसी वस्तु जैसे कपड़ा अनाज, सोना, चाँदी आदि के रूप में नहीं।

- **तेजड़िया और मंदड़िया** (Bulls and Bears) : ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तेजड़िया कहलाता है तथा जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदड़िया कहलाता है।
- **बैंक दर** (Bank Rate) : केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती जिस दर पर करता है, अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, को बैंक दर की संज्ञा प्रदान की गई है। बैंक दर में परिवर्तन होने पर संपूर्ण साख प्रभावित होती है।
- **बाई बैक** (Buy Back) : बाई बैक से आशय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने जारी किए गए शेयरों के एक अंश को वापस खरीदने से होता है। पुनः वापस क्रय किया गया अंश की चुकता पूंजी में सम्मिलित नही होता है। बाई बैक के बाद कंपनी का पूंजी आधर कम हो जाती है।
- **बजटीय घाटा** (Budget Deficit) : बजटीय घाटा राजस्व तथा पूंजीगत खातों के अंतर्गत दिखाई जाने वाली समस्त प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का अंतर होता है।
- बजटीय घाटा = राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्रप्तियां - आयोजन व्यय - गैर आयोजन व्यय।
- **लदान बिल** (Bill of Lading) : लदान बिल अथवा लदान रसीद जहाज कम्पनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है, जिसमें माल का पूर्ण विवरण, लदान की तिथि, माल पहुँचने का स्थान आदि तथ्यों का विवरण होता है। बैंकों द्वारा इस प्रकार बिलों के प्रति ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- **ब्लू चिप कम्पनियाँ** (Blue Chip Companies): वे कम्पनियाँ जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष तीन कम्पनियों में शामिल हों, ब्लूचिप कम्पनियाँ कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कम्पनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित रहता है। माना जाता है कि अगर इन कम्पनियों में लाँग टर्म निवेश किया जाए, तो पैसा डूबने की सम्भावना कम रहती है।
- **लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति** (Cost Push Inflation): जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है एवं मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पत्र होती है, तो ऐसी मुद्रा स्फीति लागत प्रेरित कही जाती है। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पत्र हो जाती है।
- **एसएलआर (स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेश्यो)**: जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते है, उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता हैं। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है, इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम ही बचती है।
- **प्रत्यक्ष कर** : जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए और उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके अन्तर्गत कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन की सम्भावना शून्य पाई जाती है। प्रत्यक्ष कर का योगदान कुल कर राजस्व में 54.9% है।
- **अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर** : वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है तथा इस कर में कराघात तथा करापात अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अर्थात् इसमें कर विवर्तन की पूरी सम्भावना पाई जाती है। यह कर लगाया तो किसी और पर जाता है पर इसका भुगतान किसी और के द्वारा किया जाता है। कुल राजस्व में इसका योगदान 44.8% है।
- **आयकर** : व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं, जिसका प्रारम्भ 1960 से किया गया।
- **निगमकर** : जिस प्रकार व्यक्ति की वार्षिक आय पर आयकर लगाया जाता है। उसी तरह कम्पनियों की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर या Carorate Tax कहलाता है। इसकी दर घरेलू कम्पनियों के सन्दर्भ में 30% निर्धारित है।
- **सम्पत्ति कर** : बैंक जमा को छोड़ करके जिस व्यक्ति के पास 30 लाख या उससे अधिक की सम्पत्ति है, उसे अपने जीवन काल में एक बार सम्पत्ति कर देना होगा।
- **व्यय कर** : ये व्यक्ति के वार्षिक कर पर लगाया जाता है। इस कर की सिफारिश केल्डर नामक अर्थशास्त्री ने की थी, जिसे जून, 2010 में समाप्त कर दिया गया।

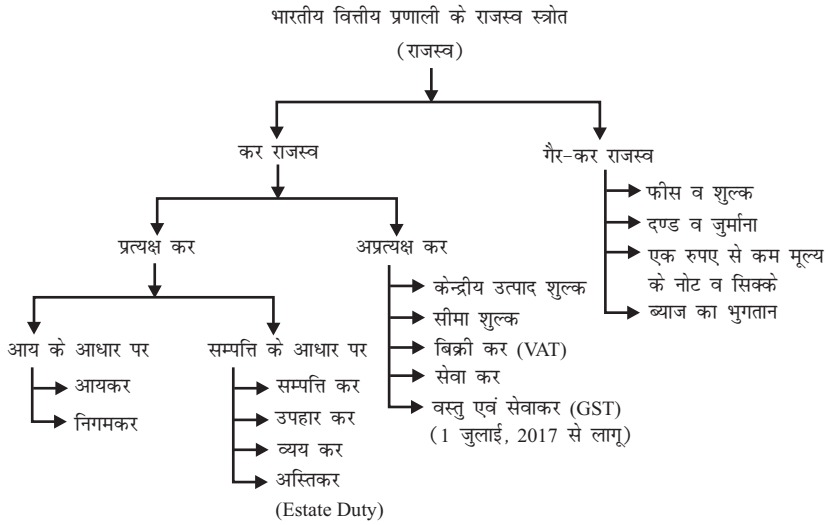

- **जी.एस.टी :** 1 जुलाई, 2017 से देश भर में GST को लागू कर दिया। यह स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- GST देशव्यापी अप्रत्यक्ष कर है जिसका विस्तार जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश में है।
- यह स्रोत आधारित वर्तमान कराधान अवधारणा के विपरीत उपभोग अथवा गंतव्य आधारित कर है।
- राज्य के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर CGST/SGST लागू होगा जबकि अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST लागू होगा।
- सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिये करों के चार स्तर हैं- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत।
- कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। इनमें मानव उपभोग के लिये अल्कोहल, पाँच पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, एवीएशन टरबाइन फ्यूल और प्राकृतिक गैस) आदि शामिल हैं।
- करदाताओं द्वारा करों के भुगतान के लिये इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS आदि तरीके उपलब्ध हैं।
- पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किये गए कर भुगतान के स्व-मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।
- **हस्तांतरण भुगतान** (Transfer Payment) **:** हस्तांतरण भुगतान बाजार प्रणाली में आय का पुनर्वितरण है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को मुद्रा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है; जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि। निर्यातकों, किसानों, विनिर्माताओं को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय की गणना से बाहर माना जाता है।
- **जीरो नेट एड** (Zero Net Aid) **:** जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो वह 'जीरो नेट एड' कहलाती है।
- **स्मार्ट कार्ड** (Smart Card) **:** डाक विभाग द्वारा चुनिंदा शहरों में प्रारम्भ की गई प्रीमियम बचत बैंक सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदार को एक 'स्मार्ट कार्ड' जारी किया जाएगा, जिससे वर्तमान कागज की पासबुक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से खातेदार किसी एक निश्चित डाकघर के स्थान पर विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा करा सकेंगे तथा निकाल सकेंगे।
- **चुंगी** (Octroi) **:** नगर में प्रवेश करने वाले सामानों पर नगर निगमों/नगरपालिकाओं द्वारा अध्यारोपित कर, चुंगी कहलाता है।
- **स्थायी लेखा संख्या** (Permanent Account Number) **:** परमानेन्ट एकाउण्ट नम्बर या स्थायी लेखा संख्या आयकरदाताओं को आवंटित एक ऐसी संख्या है, जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय एवं अन्य लेन-देन,

जिनमें पी.ए.पन. का उल्लेख करना अनिवार्य है, का लेख-जोखा रखा जाता है ताकि कर अपवंचन को रोका जा सके।

- **प्राथमिक घाटा** (Primary Deficit) : जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो शेष राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है।
- **सॉफ्ट लोन** (Soft Loan) : जिस ऋण को कम ब्याज और लम्बी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, उसे 'सॉफ्ट लोन' कहते हैं।
- **सेमी बोम्बला** (Semi Bombla) : किसी देश के अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र, जिसके द्वारा काला धन, मुद्रा प्रसार, कीमत वृद्धि आदि की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव देते हैं, 'सेमी बोम्बला' कहलाता है।
- **विक्रेता बाजार** (Sellers Market) : जब माँग अधिक होती है और पूर्ति कम, तब व्यापारी कमी का लाभ उठाकर वस्तुओं को मनमानी कीमतों पर बेचते हैं, ऐसे बाजार को 'विक्रेता बाजार' कहते हैं।
- **प्लास्टिक मनी** (Plastic Money) : प्लास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा जारी किये गये क्रेडिट कार्डों से है। भारत के लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्डों का चलन बढ़ रहा है। इनमें हवाई जहाज की टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं। अब तो बाजार में पेट्रो कार्ड तक आ गए हैं, जिनसे ग्राहक पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।
- **प्रतिभूति** (Security) : प्रतिभूति एक व्यापक शब्द है, एक अर्थ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों यथा-शेयर, डिबेन्चर व अन्य ऋण पत्रों आदि के लिए किया जाता है। बैंकिंग में ऋणों की जमानत के सन्दर्भ में भी प्रतिभूति काफी प्रयुक्त होता है, जहाँ प्रतिभूति से अभिप्राय उस बीमित हित से होता है। वह ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में उत्पत्र होता है अर्थात् प्रतिभूति ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋणों की व्यक्तिगत अथवा दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- **स्टेगफ्लेशन** (Stagflation) : यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है, जिसमें मुद्रा स्फीति (Inflation) के साथ-साथ मंदी (Depression) की स्थिति होती है।
- **रिफ्लेशन** (Reflation) : मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की माँग बढ़े, इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं।
- **रिबेट** (Rebate) : किसी संस्थान को दिये जाने वाले धन छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाना रिबेट कहलाता है।
- **विशेष आहरण अधिकार** (Special Drawing Right SDR) : एक अति महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अस्ति है, जिसका सृजन सन् 1969 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के विद्यमान अधिकृत प्रारक्षित निधियों के पूरक के रूप में किया गया था। विशेष आहरण अधिकारों का आवंटन सदस्य देश के कोटा के अनुपात में किया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लेखा की इकाई है।
- **डी-मैट एकाउण्ट** (D-Mat Account) : शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डी-मैट खाता खुलवाना पड़ता है। इसके लिए एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एकाउंट नम्बर (पैन) जरूरी होता है। इन शर्तों के पूरा होने पर ही डीमैट खाता खोला जाता है। डीमैट खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म या बैंक से खुलवाया जा सकता है। डीमैट अकाउंट खुलने पर सदस्यों को एक कोड नम्बर दिया जाता है। उसी नम्वर के आधार पर शेयरों की खरीद-फरोख्त होती है। डीमैट खाता धारक को सालाना फी देना पड़ता है।
- **डिवीडेन्ड** (Dividend) : कम्पनियों के शेयरों पर प्राप्त लाभांश 'डिवीडेन्ड' कहलाता है।
- **चालू खाता** (Current Account) : यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है, जिसमें से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार कितनी भी राशि का लेन-देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन-देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service Charge) खाताधारी से वसूल करते हैं।
- **नकद आरक्षण अनुपात** (Cash Reserve ratio-CRR) : रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य है कि वे अपनी जमाराशि के कम-से-कम 3% के बराबर रकम रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में

जमा रखें। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह इस अनुपात को 3.0% से बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। इस अनुपात में वृद्धि करने का परिणाम यह होता है कि बैंकों के पास नकद कोष में कमी हो जाती है, जिसके कारण ऋणों और अग्रिमों की मात्रा भी कम हो जाती है।

- **चैक** (Cheque) : चैक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा मांग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चैक में तीन पक्ष होते हैं: (1) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता (Drawer), (2) जिसको आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक तथा (3) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चैक का धारक (Pavee)।
- **राशिपतन** (Dumping) : किसी वस्तु के अति उत्पादन की स्थिति में बाजार में वस्तु के मूल्य को एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए वस्तु के अतिरिक्त भण्डार को विदेशी बाजार में बहुत कम मूल्य पर बेचने और यहाँ तक कि नष्ट तक कर देने की प्रक्रिया राशिपतन कहलाती है। उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है, ताकि अतिरिक्त उत्पादन को बाजार से दूर करके वस्तु के मूल्य को गिरने से रोका जा सके।
- **अवमूल्यन** (Devaluation) : यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।
- **विमुद्रीकरण** (Demonetization) : जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है, जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता है और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।
- **विनिवेश** (Disinvestment) : विनिवेश से आशय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंशों का विक्रय करना है।
- **कैश काऊ** (Cash Cow) : जब कोई शेयर लगातार अच्छा लाभ देता है तो ऐसे शेयरों को कैश काऊ की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शब्द का एक और अर्थ में प्रयोग होता है। कोई ऐसा व्यवसाय, जिसमें वर्तमान में काफी लाभ हो रहा हो, परन्तु उसका भविष्य ठीक नही हो तो ऐसे व्यवसाय के स्वामी इससे लाभार्जन तो अवश्य करते हैं, परन्तु लाभ को उस व्यवसाय में नहीं लगाते हैं, बल्कि किसी अन्य व्यवसाय में विनियोजित करते हैं, जिसका भविष्य अच्छा होता है।
- **नकद साख खाता** (Cash Credit Account) : नकद साख खाता एक ऋण खाता है इसमें बैंक खातेदारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी सीमा के अंदर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रुपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूला जाता है जो वस्तुत: ऋणी के पास रहता है।
- **जीवन प्रत्याशा सूचकांक (Life Expectancy Index)** : इसके मापन हेतु इसके अधिकतम एवं न्यूनतम जीवन प्रत्याशा मूल्य, जो क्रमश: 85 वर्ष और 25 वर्ष माना जाता है, के आधार पर निम्न सूत्र के द्वारा जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्राप्त किया जाता है।

$$\text{जी.प्र.सूचकांक} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकतम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}$$

- सामान्यता बैकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है।
- **आउट सोर्सिंग** (out Sourcing) : लागत कम करने की धारणा से प्रेरित जब कोई कम्पनी, किसी दूसरी कम्पनी को समझौता के माध्यम से अपनी कुछ जिम्मेवारियों को पूरा करने का दायित्व दूसरी कम्पनी को सौंपती है, तो इस प्रक्रिया को आउट सोर्सिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पहली कम्पनी का दूसरी कम्पनी के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है।
- **हवाला** (Hawala) : यह व्यापार अधिकृत विदेशी विनिमय चैनलों को बाइपास करने वाली एक प्रणाली है। इस व्यापार में लगे भुगतान घरेलू

मुद्रा में प्राप्त करते हैं तथा इसके बदले विदेशों में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की आपूर्ति कर देते हैं। यह व्यापार एक प्रमुख संचालक के नियन्त्रण में कार्यरत एजेन्टों के माध्यम से परिचालित होता रहता है। हवाला व्यापार की विनिमय दरें देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रायः अलग-अलग होती है। कुछ आयातक एवं निर्यातक भी हवाला व्यापार के माध्यम से लेन-देन में रुचि रखते हैं।

- **साख पत्र (Letter of Credit):** साख-पत्र सामान्यतः एक बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति व्यक्तियों के नाम लिखा गया एक पत्र होता है, जिसमें पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा जारी किए गए चैकों या उसके द्वारा स्वीकार किए गए विनिमय बिलों के भुगतान की गारण्टी प्रदान की जाती है। इस प्रकार साख-पत्र निर्यात-आयात व्यापार में बहुत उपयोगी होते हैं।
- **तरलता अधिमान ब्याज का सिद्धान्त (Liquidity Perference Theory of Interest):** जे, एम केन्स का ब्याज का सिद्धान्त, नकदी की मांग तरलता के अधिमान के कारण तीन गंतव्यों से प्रेरित होती है: (1) लेन-देन प्रेरणा (2) चौकसी प्रेरण और (3) सट्टेबाजी प्ररेणा।
- **समावेशित विकास** (Inclusice Growth) : ऐसा विकास समावेशित विकास कहलाता है, जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसें कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले अर्थात् राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक हो।
- **अमूर्त सम्पत्तियाँ (Intangible Assets) :** इन सम्पत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता अर्थात् इनका आन्तरिक मूल्य कुछ नहीं होता, किन्तु इनका मूल्य स्वामित्व एवं कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त किया जाता है; जैसे ख्याति, पेटेंट व्यापरिक चिन्ह, कॉपीराइट आदि।
- **ले ऑफ (Lay Off) :** किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की माँग कम होने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक् करना 'ले ऑफ' कहलाता है।
- **अग्रणी बैंक अथवा लीड बैंक योजना** (Lead Bank Scheme) : यह योजना जिलों की अर्थव्यस्था सुधारने के लिए वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता था। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता था, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेना तथा निश्चित कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेना तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता था।
- **मुद्रा स्फीतिक खाई अन्तराल** (inflationary Gap) : पूर्ण रोजगार की स्थिति में सकल पूर्ति पर सकल मांग का आधिक्य, जिसके कारण मुद्रास्फीति आती है।
- **संयुक्त क्षेत्र** (Joint Sector) : इस सेक्टर में लगाए गए उद्योगों में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों (कारोबारियों) का संयुक्त स्वामित्व होता है।
- **गैर-निष्पादनीय परिसम्पतियाँ** (Non-Performing Assets) : गैर निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं, जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती।
- **आयकर** (Income Tax) : एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के आय प्राप्तियों पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। ध्यातव्य है कि भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- **आयात प्रतिस्थापन** (Import Substitution): विदेश से आयातित की जाने वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस वस्तु का देश में ही उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन हेतु सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके अपनाती है।
- **सरकारी प्रतिभूतियाँ** (Government securities): सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा पत्र (Government Promissory Notes), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बन्धक पत्र (Bearer Bonds) आदि सम्मिलित किए जाते हैं, बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा ये सुरक्षित समझी जाती हैं।